₹25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

जनवरी 2019



- पीड़ित महिलाओं की समस्याएं
  –ज़हीर ललितपुरी
- शादी : परिवार की बुनियाद
  –शाज़िया अफ़ज़ल
- तलाक़, समस्या नहीं ?
  –संपादन प्रभाग

IQRA

INTERNATIONAL SCHOOL & JUNIOR COLLEGE

English Medium CBSE Pattern
Pre Nursery To XII

ADMISSIONS OPEN FOR Pre Nursery To XI

A Government Recognized
English Medium School - Approval
From Pre-Primary To XII

- ✓ Air Conditioned Ambience
- ✓ Separate Computer labs for Boys & Girls
- ✓ Maximum 24-30 Students per class
- ✓ Audio Visual Mode of Teaching, CCE Pattern
- ✓ Basket Ball Ground, Badminton Court, Martial Arts, Archery, Horse Riding
- ✓ English as a Compulsory Language of Communication
- ✓ Inter School Quiz, Science Exhibition
- ✓ English, Science & Maths Olympiads, Educational Excursions
- ✓ Yearly Health Check up Camp, Sports & Annual Day Celebrations
- ✓ Scholarship for the Deserving.
- ✓ Achievements; Numerous Students got GOLD MEDALS in International Science, Maths & English Olympiads.
- ✓ Our school Stood 1st in inter school Quiz & Elocution Competition

APPLY FOR POSTS
V. PRINCIPAL
TEACHERS (ALL SUBJECTS)
PRO, OFFICE / ACCOUNTS STAFF

2-86


Computer Lab



Academic Excellance


Science Exhibition


Winner of International martial arts Championship


Archery


Football Team


Annual Concert


Girls Self Defence



Winner of Elocution Competition

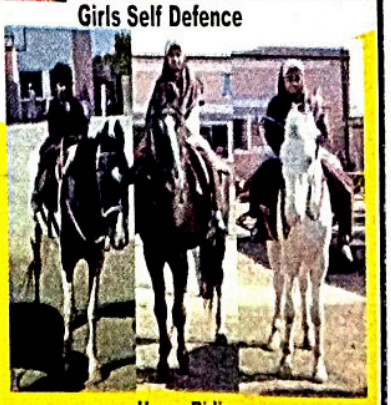
Horse Riding

Jafar Nagar Ring Road, Gorewada Nagpur- 13

Office time: 8 am - 3 pm, e-mail: iisngp@rediffmail.com

Ph. 8446010252, 7020695367

Website: www.iqrainternationalschoolngp.org

BRANCHES : MUMBAI, HYDERABAD, BENGALURU, MANGALORE, RANCHI, CHENNAI, PUSAD

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 28 अंक 7 जनवरी 2019

मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो मां-बाप और क़रीब नातेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो मां-बाप और क़रीब नातेदारों ने छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो या बहुत और यह हिस्सा (अल्लाह की ओर से) निश्चित है। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

चिड़िया चुग गई खेत

आवेल (1802-29) एक महान गणितज्ञ था।
घात के समीकरण का बीजगणितीय हल
आवेल की महान उपलब्धि थी।
उसी ने इसे सिद्ध किया था,
इसी कारण आवेल
आज भी गणितज्ञों की आंख का तारा बना हुआ है।
अब इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि
आवेल जैसा मेधावी युवक अपनी निर्धनता के कारण
केवल सत्ताइस साल की उम्र में इस दुनिया से सिधार गया।
उसी युग की बात है
गणित-आकाश पर चमकते सितारे की भांति विख्यात
जर्मन का कार्ल फ्रेडरिक गास (1777-1855) भी
एक महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता था।
उस समय उसकी तूती बोल रही थी,
उसे इतना मान-सम्मान प्राप्त था कि
क्या जनता, क्या शासक हरेक उसकी बात मानता और
उसके शब्दों पर कान धरता था
जिसकी भी सिफ़ारिश की, वह चमका
जिसको भी उठाना चाहा, वह उछलकर ऊपर आ गया
उन्हीं दिनों की बात है,
ग़रीबी का मारा हुआ,
निर्धनता की जटिल समस्याओं से जूझता हुआ
युवा गणितज्ञ आवेल ने सोचा
गास यदि उसके शोध निबंध व महत्व पहचान ले
दो शब्द उसके लिए उछाल दे
तो उसके लिए उन्नति के दरवाज़े खुल जाएंगे
आवेल ने अपना शोध-निबंध उसके पास भेजा भी,
लेकिन गास ने उसे महत्व न दिया
और उसे बिना जांचे ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया
फिर कुछ दिनों के बाद जब गास को पता चला कि
घात समीकरण का बीजगणितीय हल
आवेल और मात्र आवेल ही ने खोज निकाला है,
तो उसको घोषणा करनी पड़ी 'यदि आवेल आज ज़िंदा होता,
तो उसकी गिनती दुनिया के महान गणितज्ञों में होती'
पर अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत
काश ! गास युवा शोधकों को महत्व देता।

● **डॉ० कौसर यज़दानी नदवी**



कहां क्या है ?

चिड़िया चुग गयी खेत	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
कुरआन ज्योति		5
खान-पान के आचार (हदीस मंजरी)		6
कब हल होंगी ये समस्याएं (संपादकीय)		7
पश्चिमी जगत और मुसलमान (आपके पत्र)		9
ग़ज़ल	–विनय कपूर 'ग़ाफ़िल'	10
एकेश्वरवाद की इस्लामी धारणा (आस्था)	–संपादन प्रभाग	11
इस्लाम : एक परिष्कृत जीवन व्यवस्था	–फ़रहत हुसैन	15
पहचान (कविता)	–डॉ॰ अन्नपूर्णा श्रीवास्तव	19
इस्लाम : सबके लिए रहमत	–डॉ॰ अब्दुलं मुग़नी	21
पीड़ित महिलाओं की समस्याएं (विशेष आयोजन)	–ज़हीर ललितपुरी	26-27
शादी : परिवार की बुनियाद (विशेष आयोजन)	–शाज़िया अफ़ज़ल	30
तलाक़, समस्या नहीं ? (विशेष आयोजन)	–संपादन प्रभाग	32
कान के रोगों के प्रति असावधानी न बरतें	–डॉ॰ राजन भार्गव	35
लौट आया वक़्त (कविता)	–किशन स्वरूप	36
मित्रता (कहानी)	–आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	37
रोहिंग्या मुसलमान और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय	–उबैद बा हुसैन	41
दांतों से भी पहचाने जा सकते हैं अपराधी		47
चूहों की दुनिया (बालवीथी)		49

कुरआन ज्योति

(83) (फिर देखो कि) मूसा को उसकी क़ौम में से कुछ नवजवानों [78] के सिवा किसी ने न माना [79], फ़िरऔन के डर से और स्वयं अपनी क़ौम के बड़े लोगों के डर से (जिन्हें डर था कि) फ़िरऔन उनको यातना में ग्रस्त करेगा और सच तो यह है कि फ़िरऔन धरती में प्रभुत्व रखता था और वह उन लोगों में से था जो किसी सीमा पर रुकते नहीं हैं।[80] **–क़ुरआन, 10:83**

78. मूल अरबी में शब्द 'ज़ुर्रीयह' प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ संतान है। हमने इसका अनुवाद 'नवजवान' किया है। वास्तव में इस विशेष शब्द के प्रयोग से जो बात क़ुरआन मजीद बयान करना चाहता है वह यह है कि उस ख़तरे भरे समय में सत्य का साथ देने और सत्य के ध्वजावाहक को अपना मार्गदर्शक मान लेने की जुर्रत कुछ लड़कों और लड़कियों ने तो की, मगर माओं और बापों और क़ौम के प्रौढ़ता प्राप्त लोगों को इसका सौभाग्य प्राप्त न हुआ। उन पर अपना हित, स्वार्थ और सांसारिक लाभ कुछ इस तरह छाया रहा कि वे ऐसे सत्य का साथ देने पर तैयार न हुए, जिसका रास्ता उन्हें संकटों से भरा नज़र आ रहा था, बल्कि वे उलटे नवजवानों ही को रोकते रहे कि मूसा के क़रीब न जाओ, वरना तुम स्वयं भी फ़िरऔन के प्रकोप के शिकार होगे और हम पर भी आफ़त लाओगे।

यह बात मुख्य रूप से क़ुरआन ने उभारकर इसलिए प्रस्तुत किया है कि मक्का की आबादी में से भी मुहम्मद (सल्ल०) का साथ देने के लिए शुरू में जो लोग आगे बढ़े थे, वे क़ौम के बड़े-बूढ़े और प्रौढ़ता प्राप्त लोग न थे, बल्कि कुछ साहसी युवक ही थे। अली बिन अबी तालिब (रज़ि०), जाफ़र तैयार (रज़ि०), ज़ुबैर (रज़ि०), तलहा (रज़ि०), साद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि०), मुस्अब बिन उमैर (रज़ि०), अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) जैसे लोग इस्लाम क़बूल करते समय 20 साल से कम उम्र के थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि०), बिलाल (रज़ि०) और सुहैब (रज़ि०) की उम्रें 50 और 30 के बीच थीं। अबू उबैदा बिन जर्राह (रज़ि०), ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि०), उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि०) और उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) 30 और 35 साल के बीच की उम्र के थे। इनसे अधिक उम्र हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) की थी और उनकी उम्र भी ईमान लाने के समय 38 साल से अधिक न थी। आरंभिक मुसलमानों में केवल एक सहाबी का नाम हमें मिलता है जिनकी उम्र नबी (सल्ल०) से अधिक थी, अर्थात हज़रत उबैदा बिन हारिस मुत्तलबी। और संभवतः पूरे गिरोह में एक ही सहाबी हुज़ूर (सल्ल०) की उम्र के थे अर्थात अम्मार बिन यासिर (रज़ि०)।

79. मूल अरबी में फ़-मा आ-म-न लिमूसा' के शब्द हैं। इससे कुछ लोगों को सन्देह हुआ कि शायद बनी इसराईल सबके सब काफ़िर (इन्कारी) थे और आरंभ में उनमें से केवल कुछ लोग ईमान लाए। लेकिन अरबी व्याकरण में ईमान के साथ जब अरबी भाषा का वर्ण "लाम" संबंधवाचक (सिला) के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सामान्य रूप से आज्ञापालन और समर्पण का अर्थ देता है, अर्थात किसी की बात मानना और उसके कहे पर चलना।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

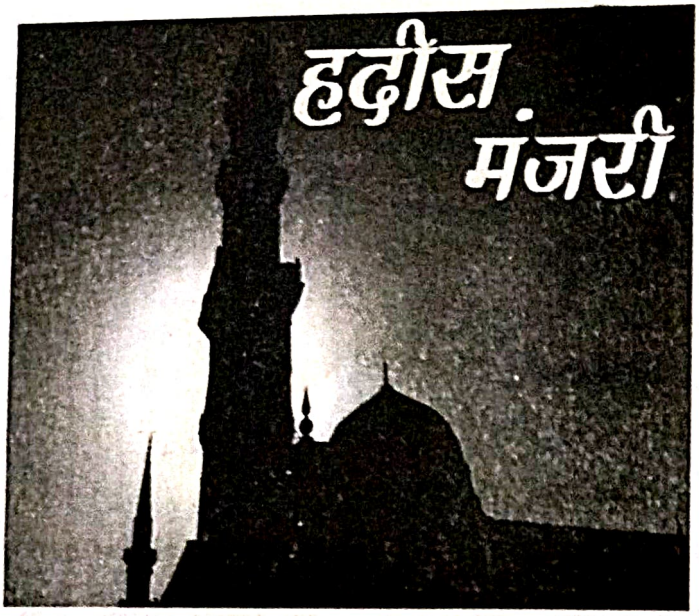

खान-पान के आचार

● हज़रत उमर बिन अबी सलमह (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझसे कहा : "अल्लाह कां नाम लेकर अपने दाएं हाथ से खाओ और खाओ अपने सामने से ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जब तुममें से कोई खाये तो उसे चाहिए कि अल्लाह तआला का नाम ले और यदि आरंभ में अल्लाह तआला का नाम लेना भूल जाए तो वह कहे 'बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आख़िरहू' (अल्लाह के नाम से इसका आरंभ भी और अंत भी) ।" –अबू दाऊद, तिरमिज़ी

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "जब कोई व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करे और प्रवेश करते समय और खाना खाते समय अल्लाह तआला को याद क़रे तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारे लिए न तो यहां रात व्यतीत करने की जगह है और न रात्रि का भोजन है । और जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे और प्रवेश करते समय अल्लाह तआला को याद न करे तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है कि तुम्हें रात व्यतीत करने की जगह मिल गयी । और जब व्यक्ति खाना खाते समय अल्लाह तआला को याद नहीं करता तो वह (शैतान) कहता है कि तुम्हें रात व्यतीत करने की जगह मिल गयी और रात्रि का भोजन भी ।"

–मुस्लिम

● हज़रत हुज़ैफ़ह (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि जब कभी हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ खाने पर होते तो जब तक अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) खाना खाना आरंभ न करते और इसके लिए अपना हाथ न बढ़ाते, हम लोग खाने में हाथ न डालते । एक बार हम आपके साथ खाने पर थे कि एक लड़की आयी जैसे कि कोई उसको ढकेल रहा है, वह अपना हाथ खाने में डालने ही वाली थी कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उसका हाथ पकड़ लिया । फिर एक ग्रामीण आया जैसे उसे भी कोई ढकेल रहा है, (उसने भी खाने में हाथ डालना चाहा) आपने उसका भी हाथ पकड़ लिया । फिर अल्लाह के रसूल ने कहा : "शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझता है जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया जाए । अत: वह इस लड़की को लाया ताकि उसके द्वारा खाने को अपने लिए हलाल कर ले, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया (क्योंकि यह लड़की बिना अल्लाह का नाम लिए खाने वाली थी) फिर वह इस ग्रामीण को ले आया कि उसके द्वारा खाने को अपने लिए हलाल कर ले, तो मैंने उसका भी हाथ पकड़ लिया । उस (अल्लाह) की क़सम जिसके हाथ में मेरे प्राण हैं, उस शैतान का हाथ भी इन दोनों हाथों के साथ मेरे हाथ में है ।" फिर आपने अल्लाह तआला का नाम लिया और खाना खाया ।

–मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

कब हल होंगी ये समस्याएं ?

हमारा देश चौतरफ़ा समस्याओं से घिरा हुआ है । ग़रीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं ने आम आदमी की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं । आख़िर इन समस्याओं का मूल कारण क्या है ? इन्सान की विकृत मानसिकता, नैतिक पतन के साथ ही पूंजीवाद और पूंजीवादी स्वार्थपरक मानसिकता ही इसका मूल कारण है । सामान्य तौर पर आज की हालत को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हर हाल में अपने खाने-कमाने में मशग़ूल है । जनता मूकदर्शक की भूमिका निभा रही है । उसके हाथ में अमलन कुछ नहीं ! वोटों की जो ताक़त है, वह भी विशेषकर अब नोटों तले दब जाती है । ज़ाहिर है, बिना पूंजीवाद का दामन थामे लूट-खसोट संभव नहीं है ! अतएव आज सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि देश को पूंजीवादी साम्राज्यवाद की आग में झोंकने का काम सत्ताधारी वर्ग और प्रतिपक्षी दोनों कर रहे हैं । देश के राजनीतिक दल इस घिनौने काम में बुरी तरह पारंगत हो चुके हैं । सभी जानते हैं कि ये ही देश की व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं । फिर ये कार्यपालिका में अपने जैसी मानसिकता रखने वालों का प्रोत्साहन एवं संवर्धन करते हैं, जिसके नतीजे में अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा गिरोह रिश्वतख़ोरी, कामचोरी और भ्रष्टता में बेख़ौफ़ तरीक़े से लिप्त हो जाता है !!

फिर हालत यह भी हो सकती है कि हर छोटे-बड़े सभी कामों और सौदों में छोटी रक़म से लेकर अरबों- खरबों की धनराशि कमीशन या रिश्वत का दौर चल जाता है ! ताज़ा हालत यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने केन्द्रीय मंत्रियों के ख़िलाफ़ प्राप्त कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों के ब्योरे साझा करने से साफ़ इन्कार कर दिया है । पी०एम०ओ० ने कहा कि इस तरह की सूचना मुहैया कराना जटिल क़वायद हो सकती है । पी०एम०ओ० का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब देश की प्रमुख जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने केन्द्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं । हमारे देश को बड़े-बड़े घोटाले करने का श्रेय और गर्व प्राप्त है ! इन घोटालों के अनगिनत नाम हैं । वर्तमान में राफेल कांड घूम रहा है । राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, बोफ़ोर्स, चारा घोटाला, ताबूत और हेलीकाप्टर-ख़रीद घोटाला आदि ऐसे कांड एवं 'आमालनामे' हैं, जो देश के कर्णधारों के चाल-चलन को पूरी तरह उजागर करते रहे हैं । केन्द्र और राज्य सरकारों का यही हाल है । एक छोटे-से क्लर्क के पास से करोड़ों की काली कमाई निकलती है ! सरकारी कार्यालय यहां तक कि छोटी अदालतें, रजिस्ट्रार ऑफ़िस आदि भ्रष्टाचार के 'जीवंत' केन्द्र बने हुए हैं । हालत इतनी बदतर है कि किसी को भी अपना काम कराने के लिए रिश्वत देने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है । रिश्वत न दो तो अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं करते ! पिछले दिनों टी०वी० पर एक विज्ञापन चला, वह भी एकतरफ़ा, कि जनता का ही क़सूर है कि वह रिश्वत देती है !! एक शब्द इस पर नहीं आया कि अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत क्यों लेते हैं !!! आज रिश्वत को इस प्रकार संस्थागत रूप दे दिया गया है कि ग़रीबों को तो सिरे

से उनका जायज़ हक़ रिश्वत, पक्षपात और प्रदूषित मानसिकता के कारण नहीं मिलता । सांप्रदायिकता और फासीवाद का भयानक झूठ किसी फैक्ट्री के सदृश उत्पादित किया जा रहा है ! विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानों को छद्म मुद्दों में फंसाकर लड़ाया जा रहा है । इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई हिन्दू-मुसलमान और अन्य लोगों ने मिलकर लड़ी थी, उनमें आज दूरी पायी जाती है । सांप्रदायिक तनावों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, वह भी दूरी, ग़लतफ़हमी और बदगुमानी का कूपरिणाम है । इस सूरतेहाल में सांप्रदायिक और फासीवादी तत्वों को अपना काम करने का 'सुअवसर' प्राप्त होता है । ये तत्व देश की सत्ता-राजनीति पर क़ाबिज़ होकर अंग्रेज़ों की 'फूट डालो, राज करो' की नीति को पूरी तरह अपना रखा है । इनकी पहुंच पुलिस, प्रशासन, मीडिया और न्यायपालिका तक है, जिस कारण देश के अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्गों को अपने भौतिक एवं आस्थागत अस्तित्व को बचाना बहुत कठिन हो गया है । वास्तव में नागरिक और मानवीय अधिकारों की पामाली हमारे देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है । यह अन्यायपूर्ण स्थिति ज़रूर बदलनी चाहिए । ज़रूरत इस बात की है कि शांति प्रिय, न्याय प्रिय और देश व समाज हितैषी हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे, मौलिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाए एवं देश को भ्रष्टाचार सहित अन्य समस्याओं के हल तथा चरित्रहीन व मलिन राजनीति से देश को पाक करने के लिए आगे आए ।



पश्चिमी जगत और मुसलमान

मैं पिछले 3 सालों से 'कान्ति' का नियमित पाठक हूं और इस्लाम को अपने आसान और सही परिप्रेक्ष्य में पेश करने के लिए मैं 'कान्ति' के संपादन प्रभाग के ठोस प्रयासों की सराहना करता हूं ।

मैं निष्पक्ष यूरोपीय लेखक बर्नार्ड लुईस द्वारा 'द मुस्लिम डिस्कवरी ऑफ़ यूरोप' (यूरोप की मुस्लिम खोज) के अनुवाद के रूप में इस विशेषांक को प्रस्तुत करने में डॉ॰ मुहम्मद अहमद के नये दृष्टिकोण की ईमानदारी से सराहना करता हूं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्य पूर्व के उनके गहन अध्ययन में कोई साथी नहीं है ।

मैंने जॉन एस्पोजिटो, सैमुअल पी॰ हंटिंगटन, एडवर्ड डब्ल्यू॰ सईद, नोम चोमस्की और इक़बाल अहमद जैसे यूरोपीय लेखकों की कुछ किताबों का अध्ययन किया है और अनुभव किया कि 'मुस्लिम दुनिया के साथ क्या ग़लत हुआ ? यह स्पष्ट है कि हम सभी को स्वर्ग के बारे में पता था, लेकिन वे पृथ्वी पर नयी शक्तियों से अनजान बने रहे, जो हमारे मीठे सपने को ख़त्म करने के लिए तैयार थे ।

मैं 'कान्ति' के भविष्य के अंकों के माध्यम से इसी तरह के अनुवाद की उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इन दिनों दुनियाओं के बीच ज्ञान के प्रासंगिक और सामयिक ज्ञान के आदान-प्रदान की कमी मुस्लिम साम्राज्य के पतन का कारण बन गयी है । इस तरह के ज्ञान की कमी वर्तमान पीढ़ी को भी प्रभावित कर रही है । हमें चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए प्रयासरत रहना ज़रूरी है ।

मैं हिन्दी में इतना माहिर नहीं हूं । इसलिए मैंने यह पत्र अंग्रेज़ी में लिखा है । आपसे अनुरोध है कि इस पत्र को 'कान्ति' के लिए यथोचित संशोधन के साथ हिन्दी में अनुवाद करवा कर प्रकाशित करें ।

मुहम्मद सरफ़राज़ ख़ान
एन॰आई॰टी॰, फ़रीदाबाद
मोबाइल : 9717543173

पठनीय पत्रिका

आशा है, आप स्वस्थ व सानन्द रहकर 'कान्ति' (मासिक) के संपादन व प्रकाशन में संलग्न होंगे । आपके स्नेह-सौजन्य से 'कान्ति' (मासिक) की पाठ्य-सामग्री के सतत अध्ययन का सुअवसर मिल रहा है, इस हेतु हम आपके आभारी हैं । पत्रिका का हर अंक अपनी गुणवत्तापरक पाठ्य-सामग्री से ओत-प्रोत होने के कारण साहित्य प्रेमियों के लिए पठनीय ही नहीं, अपितु संग्रहणीय भी है । पत्रिका के प्रति आपका समर्पण क़ाबिल-ए-तारीफ़ है ।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह
हिन्दूपुर, करछना, प्रयागराज (उ॰प्र॰)

वरिष्ठ जनों की समस्याएं

मासिक पत्रिका 'कान्ति' दिसम्बर का अंक प्राप्त हुआ । ''समाज में तिरस्कृत वरिष्ठ जन'' आलेख पसन्द आया । इसके लेखक श्री सुधीर कुमार जी के उच्च विचारों से मैं पूर्णतया समर्थक हूं । अधिकांश का मानना है कि वृद्धावस्था एक अभिशाप है, परन्तु मेरे व्यक्तिगत विचार से वृद्धावस्था परिवार के समस्त सदस्यों को पुरातन भारतीय सभ्यता व संस्कृति की ओर अग्रसर कर नैतिकता उज्ज्वल चरित्र का अटूट प्रेरक अंग है । आदर्श परिवार ही आदर्श समाज का प्रतिबिम्ब है । इसी से उन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है । वृद्ध व्यक्ति चाहे किसी भी परिवार में हो, चाहे पुरुष व महिला बिरले में ही आज संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलते हैं, पुरातन की भांति हमें संयुक्त परिवार की ओर अग्रसर होना होगा, वृद्ध व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य यह हो जाता है कि अपने दिल में प्रेम, करुणा व मित्रता की भावना क़ायम करके अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखे । वृद्ध व्यक्ति का सम्मान होना प्रत्येक परिवार में अति आवश्यक है ।

क़रीब एक वर्ष से अधिक हुए यहां भीलवाड़ा नगर में वरिष्ठ नागरिक मंच की स्थापना वृद्ध व्यक्ति को परिवार में सम्मान मिले । संयुक्त परिवार में प्रोत्साहन मिले, परिवार को प्रत्येक सदस्यों में सहिष्णुता व सहनशीलता की भावना हो, प्रत्येक क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े । नौकरी के पश्चात वृद्ध व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए ।

विशेष रूप से अपने शुभ कार्यों से अपने परिवार व समाज को उचित दिशा-निर्देश में सहायक हो । सामाजिक सुधार के कार्य भी करते रहना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी भी आपके प्रोत्साहन से अपने-अपने कार्य में जुटे रहते हैं । इसलिए कह सकते हैं कि वृद्धावस्था आदर्श परिवार व समाज की नींव है । वृद्ध व्यक्ति झूठे मान-सम्मान को अधिक महत्व नहीं दे । उनका कर्तव्य है कि स्वयं प्रात:काल उठकर के परिवार के सम्मुख मुस्कुराये तथा अपने सदस्यों को नि:स्वार्थ भाव से कार्य करने को प्रोत्साहित करें ।

समाज के अनुसार वृद्ध व्यक्ति को ढालना होगा । सदस्यों को अच्छे संस्कार देने हेतु किसी न किसी प्रकार से प्रयत्न करना होगा । अपना व्यवहार ऐसा रखे जिससे कि परिवार व समाज के अधिकांश सदस्य आपका समुचित आदर करें । अपने व्यवहार को कसौटी पर उतारकर परिवार व समाज का उचित मार्गदर्शन करें ताकि परिवार व समाज भविष्य में आदर्श बन सके । इसलिए आदर्श परिवार व समाज वृद्धावस्था का बेहतरीन चरित्र है ।

संयुक्त परिवार में जहां सदस्यों में प्रेम और अपनत्व की भावना सदा बनी रहती है वहीं एक सुदृढ़ता का एहसास भी होता है । स्नेह की भावना उमड़ने के साथ-साथ कार्य भी अच्छा होता है । समय भी कम लगता है, ख़र्च में कमी आती है । वृद्धावस्था की उत्तम चारित्रिक व्यवस्थाएं भी संयुक्त परिवार को बढ़ाने में अग्रसर है ।

रामस्वरूप झैवर
शास्त्रीनगर-विस्तार, भीलवाड़ा (राज०)

नयी पहल, अच्छी पहल

'पश्चिमी जग़त और मुसलमान' विशेषांक स्तरीय एवं उत्कृष्ट है । नयी पहल, अच्छी पहल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ।

डॉ० नौशाद अली
इन्चौली, मेरठ, उ०प्र०

ग़ज़ल

अनादर यूं अगर होता रहा जन-भावनाओं का
ये मौसम रुख़ पलट देगा किसी दिन इन हवाओं का

परिन्दे नफ़रतों के जब कभी पर फड़फड़ाते हैं
अखाड़ा बन ही जाता है वतन फिर रहनुमाओं का

ग़ज़ल का मान होना चाहिए अख़बार के पन्नो
असर तुम पर भी दिखता है हसीनों की अदाओं का

ज़माने-भर की खुशियां ठूंसने ख़ातिर तिजोरी में
लिए फिरता है नादां सिर पे गट्ठर आपदाओं का

कुदरती कैमरों से बच नहीं सकता कोई 'ग़ाफ़िल'
दिलों में दर्ज होता है निशां हर पल गुनाहों का ।

विनय कपूर 'ग़ाफ़िल'
वाराणसी, उ०प्र०

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

वास्तव में इन शब्दों का अर्थ यह है कि कुछ नवजवानों को छोड़कर बनी इसराईल की पूरी क़ौम में से कोई भी इस बात पर तैयार न हुआ कि हज़रत मूसा (अलैहि०) को अपना मार्गदर्शक व पेशवा मानकर उनकी पैरवी अपना लेता । फिर बाद के वाक्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनके हर रवैये का मूल कारण यह न था कि उन्हें हज़रत मूसा के सच्चे और उनके सन्देश के सत्य होने में कोई सन्देह था, बल्कि इसका कारण केवल यह था कि वे और मुख्य रूप से उनके बड़े, हज़रत मूसा (अलैहि०) का साथ देकर अपने आपको फ़िरऔन की क्रूरता के ख़तरे में डालने के लिए तैयार न थे । (इसी बात की ओर सूरा-7 (आराफ़) की आयत 129 'ऊज़ीना मिन क़ब्लिअन तति-य-ना...(अर्थात तेरे आने से पहले भी हम सताये जाते थे-) में भी संकेत किया गया है और इसका विवरण बाइबल की किताब निर्गमन (16:20-21) में देखा जा सकता है ।

80. मूल अरबी में शब्द 'मुसरिफ़ीन' प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है सीमा पार कर जाने वाला, मगर इस शाब्दिक अनुवाद से इसकी मूल आत्मा नहीं झलकती । 'मुसरिफ़ीन' से अभिप्रेत वास्तव में वे लोग हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी बुरे-से-बुरे तरीक़े को भी अपनाने में नहीं झिझकते, किसी अत्याचार और किसी दुष्चरित्र और किसी जंगलीपन और बरबरता के करने से नहीं चूकते, अपनी इच्छाओं के पीछे हर अति तक जा सकते हैं । इनके लिए कोई सीमा नहीं जिस पर जाकर वे रुक जाएं ।

एकेश्वरवाद की इस्लामी धारणा

● संपादन प्रभाग

इस समस्त संसार की रचना एक ही ईश्वर ने की है और इस संसार पर उसी एक ईश्वर का प्रभुत्व है, यह समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है । बल्कि यह तो एक ऐसा सत्य है जिसको समझने के लिए किसी प्रमाण और परीक्षण की आवश्यकता भी नहीं है । यह सत्य तो हर किसी के हृदय में स्वयं ही विद्यमान है और अवसर प्राप्त होते ही यह पूरी शक्ति से बाहर आ जाता है । दूसरी ओर संसार की हर चीज़ भी चीख़-चीख़कर इसी बात की गवाही दे रही है कि इस समस्त संसार को बनाने वाला एक ही ईश्वर है ।

''धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी-बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत-सी निशानियां हैं ।'' (क़ुरआन, 3:190)

मनुष्य की समस्या यह है कि वह इस संसार को कभी इस दृष्टि से देखता ही नहीं । वह यह तो देखता है और इसके लिए अपनी समस्त शक्ति का उपयोग भी करता है, कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु को वह अपने जीवन के लिए कैसे उपयोगी बना सकता है । परन्तु इस सुन्दर और विशाल संसार और इसमें फैली हुई अनगिनत नेमतों का रचयिता कौन है इस ओर उसका ध्यान कभी नहीं जाता । वह एक आकर्षक और मोहित कर देने वाली चित्रकला को देखकर उसके चित्रकार की प्रशंसा करते नहीं थकता और उसका नाम जानने को व्याकुल हो जाता है, परन्तु इस संसार-रूपी चित्रकला को देखकर न तो उसके चित्रकार की प्रशंसा करता है, न ही उसके बारे में जानने की जिज्ञासा ही उसके हृदय में उत्पन्न होती है ।

''इन लोगों ने अल्लाह की क़द्र ही न की जैसा कि उसकी क़द्र करने का हक़ है...।'' (क़ुरआन, 39:67)

एकेश्वरवाद (तौहीद) इसी सत्य को स्वीकार कर लेने का नाम है ।

जिसने इस संसार की रचना की है वही उसका स्वामी है (उसी को होना भी चाहिए) और वही इसका संचालन एवं प्रबंध भी कर रहा है (दूसरा कोई कर भी नहीं सकता)। यह एक ऐसा सत्य है जिसे समझने के लिए बुद्धि की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है । इस संसार में चारों ओर फैली हुई सुव्यवस्था, समन्वय और सामंजस्य इस बात का खुला प्रमाण है कि इस समस्त संसार पर अकेले उसी का प्रभुत्व है ।

''अगर आसमान और ज़मीन में एक अल्लाह के सिवा



दूसरे पूज्य भी होते तो (ज़मीन और आसमान) दोनों की व्यवस्था बिगड़ जाती । अत: पाक है अल्लाह, सिंहासन का अधिकारी उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं ।''

(कुरआन, 21:22)

एकेश्वरवाद उसके स्वामित्व और उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लेने का नाम है ।

इस विशाल और अनंत संसार पर उस एक ईश्वर का प्रभुत्व इतना मंज़बूत और संपूर्ण है कि उसकी इच्छा और अनुमति के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । किसी में न इतनी सामर्थ्य है, न क्षमता कि उसकी इच्छा के बिना संसार में कोई काम कर ले । उसका ज्ञान इतना व्यापक और विस्तृत है कि संसार में होने वाली हर गतिविधि को वह ज़ानता है । सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का भी उसे ज्ञान है । वह तो हृदय में उत्पन्न होने वाले विचार, इरादे और योजनाओं से भी अवगत है चाहे हम उसे व्यक्त करें या न करें ।

''तुम चाहे चुपके से बात करो या ऊंची आवाज़ से (अल्लाह के लिए समान है) वह तो दिलों का हाल तक जानता है । क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया है ? हालांकि वह सूक्ष्मदर्शी और ख़बर रखने वाला है ।''

(कुरआन, 67:13-14)

जब प्रभुत्व उसी का है, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी वही है तो पूज्य भी वही हुआ । फिर हमारी समस्त श्रद्धा, आदर, आराधना और उपासना का केन्द्र उसी (ईश्वर) को होना चाहिए । वही हमारी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, वही हमारे बिगड़े काम बना सकता है और वही अलौकिक रूप से हमारी सहायता कर सकता है । अत: हमारा शीश केवल उसी के सामने झुकना चाहिए ।

अकेले उसी एक ईश्वर की आराधना और उपासना करना और अपने आपको मात्र उसी एक के समक्ष नतमस्तक और समर्पण कर देने का नाम एकेश्वरवाद है ।

मनुष्य अपनी अज्ञानता या दूसरों के प्रभाव में आकर अगर उस एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति या शक्तियों को ईश्वर का स्थान दे दे और ईश्वर के अतिरिक्त उनकी पूजा-अर्चना और उपासना करने लगे, तो इससे वास्तविकता तो बदल नहीं जाएगी । सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी रहेगा तो वही, हां इसका परिणाम यह होगा कि हम किसी ऐसी शक्ति या शक्तियों की पूजा कर रहे होंगे जिनका वास्तव में संसार में कोई अस्तित्व नहीं होगा या जो इतनी कमज़ोर होंगी की हमारी आराधना और उपासना को न सुन सकें, न उसे पूरा कर सकें ।

(क) ''उसे छोड़कर तुम जिसकी बन्दगी कर रहे हो वे इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए हैं । अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी...।'' (कुरआन, 12:40)

(ख) ''जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर ही होता है । काश ! ये लोग ज्ञान रखते ।'' (कुरआन, 29:41)

उस एक ईश्वर के अतिरिक्त समस्त शक्तियों की पूजा और उपासना से इन्कार कर देने का नाम एकेश्वरवाद है, चाहे वह जीवित हों या अजीवित, जीव-जन्तु हों, पशु-पक्षी, सूर्य-चन्द्रमा हों, नदी-नाले हों या महासागर, भूत-प्रेत हों, परी या स्वर्गदूत ।

ईश्वर ने इस संसार को शून्य से पैदा किया । अर्थात एक समय था जब इस संसार में कुछ भी नहीं था सिवाय सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी ईश्वर के और उसने अपनी अपार शक्ति से इस समस्त संसार की रचना की । इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, चाहे हमें उसका ज्ञान हो या न हो, सब उसी ईश्वर की सृष्टि हैं । सृष्टि और सृष्टिकर्ता न बराबर हो सकते हैं, न ही इनमें कोई समानता हो सकती है ।

''संसार की कोई चीज़ उसके सदृश्य नहीं, वह सब कुछ सुनने और देखने वाला है ।'' (कुरआन, 42:11)

उसे इसी अदृश्य रूप में स्वीकार कर लेने का नाम एकेश्वरवाद है ।

उस ईश्वर की न कोई संतान है, न कोई पत्नी । संतान और पत्नी की आवश्यकता तो मनुष्य को होती है जो नाशवान है । ईश्वर तो सदैव से है और सदैव रहेगा । उसे संतान की क्या आवश्यकता ?

''कहो, वह अल्लाह है, यकता । अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मुहताज हैं । न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान । और कोई इसका समकक्ष नहीं है ।'' (कुरआन, 112:1-4)

ईश्वर को संतान और परिवार से परे और मुक्त मानना ही एकेश्वरवाद है ।

इस समस्त संसार की रचना ईश्वर ने खेल-तमाशे के लिए नहीं की है, बल्कि उसने तो इस पूरे संसार को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए पैदा किया है ।

"ये आकाशों और धरती और इनके बीच की चीज़ें हमने कुछ खेल के रूप में नहीं बना दी हैं । उनको हमने हक़ के आधार पर पैदा किया है, किन्तु इनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं हैं ।" (क़ुरआन, 44:38-39)

उस एक ईश्वर ने इस संसार में अनेकानेक चीज़ों की रचना की है परन्तु उसकी सर्वोत्तम सृष्टि मनुष्य है । मनुष्य को उसने किस उद्देश्य से पैदा किया यह बात उसने साफ़ शब्दों में स्पष्ट कर दी है–

"जिसने मौत और ज़िन्दगी को आविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे कि तुममें से कौन अच्छा कर्म करने वाला है, और वह प्रभुत्वशाली भी है और क्षमा करने वाला भी ।" (क़ुरआन, 67:2)

मनुष्य अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सके इसके लिए ईश्वर ने उसे उपयुक्त और उचित योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता और प्रतिभा प्रदान की ।

"हमने इन्सान को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया ।" (क़ुरआन, 95:4)

और साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने संसार की समस्त वस्तुओं और शक्तियों की रचना मनुष्य की सहायता एवं सेवा के लिए की है ।

"वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीज़ें पैदा कीं, फिर ऊपर की ओर रुख़ किया और सात आसमान ठीक तौर पर बनाए । और वह हर चीज़ का ज्ञान रखने वाला है ।" (क़ुरआन, 2:29)

मनुष्य को इस संसार में किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और अपना जीवन यहां कैसे व्यतीत करना है यह उससे बेहतर कौन जान सकता है जिसने मनुष्य को पैदा किया है । अत: मनुष्य को संपूर्ण जीवनशैली और व्यवस्था प्रदान करने का कार्य भी उसी का है । मनुष्य स्वयं यह फ़ैसला करेगा और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेगा तो इसके परिणामस्वरूप इस संसार की सारी व्यवस्था बिगड़ कर रह जाएगी और चारों ओर मनुष्य के आपसी प्रभुत्व का संघर्ष छिड़ जाएगा ।

"थल और जल में बिगाड़ पैदा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से...।" (क़ुरआन, 30:41)

एकेश्वरवाद यह कि मनुष्य उसी एक ईश्वर द्वारा प्रदान की गयी जीवन-शैली को स्वीकार करके अपना पूरा जीवन उसी के अनुसार व्यतीत करे तथा दूसरी सभी शैलियों को निरस्त कर दे ।

मनुष्यों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को अति शक्तिशाली और अत्यंत महान समझ कर दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करने लगते हैं, हालांकि प्रभुत्व का अधिकार तो बस ईश्वर का है । कभी-कभी राष्ट्रों को भी यह अहंकार का रोग लग जाता है और वे समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य समझने लगते हैं । क़ुरआन ऐसी समस्त शक्तियों को "ताग़ूत" की संज्ञा देता है चाहे वह कोई व्यक्ति हो, व्यक्तियों का कोई समूह हो, कोई शासक हो या कोई राष्ट्र ।

ऐसे सभी "ताग़ूतों" का इन्कार कर देना और सिर्फ़ उसी एक सर्वशक्तिशाली ईश्वर के प्रभुत्व के सामने सर झुकाना ही एकेश्वरवाद है ।

"इसके विपरीत जिन लोगों ने बढ़े हुए सरकश (ताग़ूत) की बन्दगी से मुंह फेर लिया और अल्लाह की ओर पलट आए उनके लिए शुभ-सूचना है । अत: (ऐ नबी) खुशख़बरी दे दो मेरे उन बन्दों को ।" (क़ुरआन, 39:17)

प्रभाव

(1) एकेश्वरवाद से मनुष्यों में एकता की भावना उत्पन्न होती है । यह आपसी शत्रुता और संघर्ष को मिटाता है ।

(2) एकेश्वरवाद मनुष्यों को मनुष्यों के प्रभुत्व से निकालता है और उनकी दासता से छुटकारा देता है ।

(3) एकेश्वरवाद मनुष्य को ईश्वर का वास्तविक ज्ञान देता है ।

(4) एकेश्वरवाद स्वयं मनुष्य को उसकी वास्तविकता का बोध कराता है ।

(5) एकेश्वरवाद संसार का सबसे बड़ा सच है । अनेकेश्वरवाद मात्र कोरी कल्पना है ।

(6) एकेश्वरवाद हर तरह की ग़ुलामी व दासता से आज़ादी दिलाता है ।

(7) एकेश्वरवाद से ही समाज में वास्तविक सुख-शांति स्थापित हो सकती है ।

(8) एकेश्वरवाद से ही समाज में वास्तविक प्रगति और उत्थान के द्वार खुल सकते हैं ।

"कहो, मैं पनाह मांगता हूं,
इन्सानों के रब, इन्सानों के
बादशाह, इन्सानों के वास्तविक
पूज्य की । उस वसवसे डालने
वाले की बुराई से जो बार-बार
पलटकर आता है, जो लोगों के
दिलों में वसवसे डालता है,
चाहे वह जिन्नों में से हो या
इन्सानों में से ।"
(क़ुरआन, 114:1-6)

A Well Wisher

BHOPAL

इस्लाम : एक परिष्कृत जीवन-व्यवस्था

■ फ़रहत हुसैन

धरती पर मनुष्य ही वह प्राणी है जिसे विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसीलिए उसे संसार में जीवन-यापन हेतु एक जीवन प्रणाली की आवश्यकता है । मनुष्य नदी नहीं है जिसका मार्ग पृथ्वी की ऊंचाई-नीचाई से स्वयं निश्चित हो जाता है । मनुष्य निरा पशु-पक्षी भी नहीं है कि पथ-प्रदर्शन के लिए प्रकृति ही पर्याप्त हो । अपने जीवन के एक बड़े भाग में प्राकृतिक नियमों का दास होते हुए भी मनुष्य जीवन के ऐसे अनेक पहलू रखता है जहां कोई लगा-बंधा मार्ग नहीं मिलता, बल्कि उसे अपनी इच्छा से मार्ग का चयन करना पड़ता है । उसे विचार का एक मार्ग चाहिए जिससे वह अपनी और सृष्टि की समस्याओं का समाधान कर सके । उसको व्यक्तिगत व्यवहार की पद्धति चाहिए, जिसका अनुसरण करके वह सभ्य और शालीन जीवन जी सके । उसको घरेलू जीवन, पारिवारिक रिश्तों, आजीविका संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक व्यवस्था हेतु मार्ग चाहिए जिस पर वह एक व्यक्ति की हैसियत से ही नहीं, एक समाज एक राष्ट्र और एक जाति के रूप में अग्रसर हो सके । संसार में अपने जीवन-उद्देश्य और जीवन के अपने परम लक्ष्य का ज्ञान प्राप्त कर सके ।

यह बड़ी तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण बात है कि किसी चीज़ का निर्माता ही उसकी कार्यविधि तय करता है । छोटी से छोटी मशीन के साथ भी उसका 'मैनुअल' दिया जाता है । इन्सान तो धरती पर ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है । उसका रचयिता ही उसके लिए 'मैनुअल' या जीवन व्यतीत करने की प्रणाली बताने तथा उसके जीवन के उद्देश्य तथा परम लक्ष्य को इंगित करने का अधिकारी है । इसके लिए स्वयं अपने विवेक पर अथवा अपने जैसे दूसरे लोगों पर भरोसा करना नादानी होगी ।

इन्सान और इस विशालकाय सृष्टि के रचयिता 'अल्लाह' ने धरती पर मनुष्य की समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की पूर्ण एवं संतुलित व्यवस्था की । खाने-पीने, रहने-बसने आदि के समस्त साधन उपलब्ध कराए । उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता, जीवन उद्देश्य एवं जीवन-यापन के ढंग बताने के लिए अपने दूतों को पूर्ण ज्ञान देकर भेजा । ये ईशदूत अपने-अपने देशों में अपनी कार्य अवधि और कार्य क्षेत्र में इन्सानों का मार्गदर्शन करते रहे । जब संसार ने प्रगति के वैश्विक दौर में प्रवेश किया, तो ईश्वर ने अपने अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को अंतिम ईशग्रंथ पवित्र क़ुरआन के साथ संपूर्ण मानवजाति के मार्गदर्शन हेतु नियुक्त किया ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) समस्त ईशदूतों के प्रतिनिधि हैं और क़ुरआन सभी ईश्वरीय आदेशों और ग्रंथों का प्रतिनिधि एवं सार है । हमारा विश्वास है कि यही जीवन प्रणाली अर्थात 'इस्लाम' ईश्वर प्रदत्त है और मनुष्य की सभी जटिलतम समस्याओं का त्रुटिरहित शाश्वत समाधान है । इस जीवन प्रणाली को अपनाकर व्यक्ति मानसिक शांति और पारलौकिक सफलता दोनों को प्राप्त कर सकता है । यही वह ज्योति है जिसके प्रकाश में मनुष्य सत्यमार्ग का अनुसरण करता है और जिसके अभाव में वह अंधेरे में भटकता रहेगा और केवल परेशानी से दो-चार रहेगा ।

नामकरण

आइए अब हम इस जीवन पद्धति के नामकरण पर विचार करें । संसार में जितने भी धर्म हैं वे या तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हैं या उस जाति के नाम पर जिसमें उस धर्म का उदय हुआ हो । परन्तु इस्लाम किसी व्यक्ति या जाति से संबद्ध नहीं है । इसका नाम एक विशेष गुण को प्रकट करता है जो शब्द 'इस्लाम' के अर्थ में निहित है, जिससे स्पष्ट है कि यह किसी व्यक्ति के दिमाग़ की उपज नहीं है और न किसी जाति विशेष तक सीमित है ।

इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सलामती, अमन, शांति, आज्ञापालन, समर्पण । इस्लाम वह जीवन पद्धति है, जिसमें इन्सान अपने प्रभु और पालनहार के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है । ऐसे ही जीवन से मनुष्य दुनिया में अमन-शांति और चैन से रहता है और परलोक में परम सुख प्राप्त करता है । इस्लाम में आस्था रखने वालों को मुस्लिम या मुसलमान कहते हैं ।

मूलभूत आस्थाएं

इस्लाम की तीन मूलभूत आस्थाएं हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. एकेश्वरवाद (तौहीद) : इस्लाम की बुनियादी (मूलभूत) आस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एक ईश्वर में आस्था । इन्सान और संपूर्ण सृष्टि का रचयिता वास्तविक स्वामी, शासक और प्रबंधक एक अकेला 'अल्लाह' है । उसी ने यह सृष्टि बनाई और वही इसे चला रहा है । हर चीज़ को अस्तित्व में रहने के लिए जिस ऊर्जा की जितनी मात्रा में आवश्यकता है, वह अल्लाह ही उसे प्रदान कर रहा है । प्रभुसत्ता के समस्त गुण उसी में पाये जाते हैं कोई दूसरा लेशमात्र भी उसका साझी नहीं है । वह सदैव से है और सदा रहेगा अन्य सब कुछ नाशवान है । वह न किसी की संतान है और न उसकी कोई संतान है । वह समस्त कमज़ोरियों से पाक है । प्रत्यक्ष और परोक्ष का पूर्ण ज्ञान उसी को है । वही अकेला मनुष्य का वास्तविक उपास्य है । उसकी भक्ति, उपासना और बन्दगी में किसी और को शरीक करना न तो विवेकपूर्ण है और न ही न्यायसंगत । आज्ञापालन उसी का होना चाहिए । मार्गदर्शन उसी का स्वीकार्य हो । अपनी मनोकामना उसी के समक्ष प्रस्तुत की जाए । शुक्रगुज़ारी और कृतज्ञता का वही अधिकारी है, क्योंकि उसी ने हमें अस्तित्व प्रदान किया, जीने के सभी साधन उपलब्ध कराए और अपने पैग़म्बरों को भेजकर सत्य मार्ग दिखाया ।

2. ईशदूतत्व (रिसालत) : इन्सानों के व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए ईश्वर हर युग में आवश्यकतानुसार संदेशवाहक भेजता रहा, जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान की ज्योति द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में मनुष्यों का मार्गदर्शन करते रहे और उन्हें ईश्वर का संदेश अपनी वाणी और अपने व्यवहार से पहुंचाते रहे । समाज को भलाइयों की ओर अग्रसर करने, बुराइयों को दूर करने तथा मुक्ति मार्ग दिखाने का कठिन कार्य करते रहे । जब मनुष्य ने सभ्यता के वैश्विक दौर में क़दम रखा तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को एक विश्वव्यापी संदेश के साथ भेजा गया । यह संदेश दो रूपों में उपलब्ध है । एक ईशवाणी जो पवित्र क़ुरआन के रूप में अक्षरशः सुरक्षित है, दूसरे हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के कथन, आचरण, आदेश-निर्देश जिन्हें 'हदीस' कहा जाता है । इस्लामी आस्था के अनुसार ईश्वर के सभी संदेष्टाओं पर ईमान ज़रूरी है, परन्तु व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का अनुसरण करना होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा ही ईश्वरीय विधान का अंतिम संस्करण है ।

डॉ॰ वेद प्रकाश उपाध्याय तथा अनेक विद्वानों के अनुसार सनातन धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों वेदों तथा पुराणों में जिन 'नराशंस ऋषि' 'मामहे ऋषि' 'महामद' और अंतिम अवतार 'कल्कि अवतार' की भविष्यवाणियां बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है, वे हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ही हैं । इससे स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) भारत के लिए भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं ।

3. परलोकवाद (आख़िरत) : आस्था का तीसरा बिन्दु है आख़िरत पर ईमान । संसार में मनुष्य अनुत्तरदायी बनाकर नहीं छोड़ा गया है । वह ईश्वर के सामने जवाबदेह है । वर्तमान सांसारिक जीवन के अतिरिक्त पारलौकिक जीवन भी है । एक समय आएगा जब ईश्वर इस सृष्टि को मिटा देगा अर्थात 'प्रलय' या क़यामत आएगी । फिर सभी अगले-पिछले लोगों को जीवित किया जाएगा । यह फ़ैसले का दिन होगा और अल्लाह की अदालत क़ायम होगी जिसमें सब लोगों के सांसारिक क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों का पूरा रिकार्ड सबूतों और गवाहों सहित पेश होगा । इस अदालत में रिश्वत, सिफ़ारिश और सांसारिक रुतबे का कोई स्थान नहीं होगा । ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब-किताब करेगा । निर्णय इस बात का होगा कि मनुष्य ने ईश्वर प्रदत्त आदेशों को मानकर उसके पैग़म्बर की पैरवी करके जीवन-यापन किया अथवा अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से कार्य किए । जिनके अच्छे कर्म अधिक होंगे उन्हें सफल घोषित किया जाएगा और स्वर्ग का आनन्द उन्हें प्राप्त होगा, जहां वे हमेशा रहेंगे । जिनके रिकार्ड में अवज्ञा, उदंडता, अत्याचार अधिक होंगे, वे दंड के अधिकारी होंगे और नरक की यातना सहेंगे ।

मनुष्य के अंतःकरण की मांग है कि ऐसी कोई व्यवस्था कोई प्रक्रिया हो जहां निष्पक्ष रूप से न्याय हो ।

दुराचारियों और अत्याचारियों को, जो अपनी ताक़त के घमंड में निर्बल और कमज़ोरों पर अत्याचार करते रहे, लोगों को सत्य मार्ग से रोकते रहे, धरती में फ़साद व उपद्रव फैलाते रहे, उन्हें सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाए । जो लोग कष्ट झेलकर भी सत्य मार्ग पर डटे रहे, अत्याचारियों से लोहा लेते रहे अपनी जान और अपने माल से दीन-दुखियों की मदद करते रहे, समाज में अच्छाइयों को बढ़ावा देने तथा बुराइयों को मिटाने के कार्य में लगे रहे, उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका इनाम मिलना चाहिए । आख़िरत की अवधारणा इसी स्वाभाविक मांग का जवाब है ।

इबादत या उपासना

इस्लाम, इबादत को पूजा अर्चना या कर्मकांड तक सीमित नहीं मानता । उसके अनुसार प्रत्येक कार्य चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जो ईश्वर के आदेशों का अनुसरण करते हुए किया जाए इबादत में गिना जाता है । घर परिवार चलाना, कारोबार करना, सामाजिक क्रियाकलाप यदि ईश्वर के बताए हुए तरीक़े से हों तो इबादत ही है । मुसलमान वास्तव में चौबीस घंटे का दास और उपासक है । इसी तैयारी और याददिहानी के लिए चार अनिवार्य उपासनाएं निर्धारित की गयीं जो इस्लाम के स्तंभ कहे जाते हैं ।

(1) नमाज़

नमाज़ ईश-भक्ति की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसमें स्तुति, उपासना, वंदना, आराधना, स्मरण, चिंतन, प्रार्थना-याचना सब कुछ है । इस्लाम पर आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर दिन-रात में पांच बार नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ (अनिवार्य) है । इसका मूल उद्देश्य है कि मनुष्य अपने मालिक के एहसान को प्रकट करने के लिए उसके समक्ष शारीरिक और आत्मिक रूप से उपस्थित हो, उसका गुणगान करे उसके आगे नतमस्तक हो, उसके आदेशों-निर्देशों पर जो नमाज़ में पढ़े जाते हैं ध्यान केन्द्रित करे । इसके द्वारा उसमें कर्तव्य बोध का गुण पैदा होता है तथा ईश्वरीय आदेशों की पुनरावृत्ति चरित्र निर्माण में सहायक होती है । सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर सामाजिक समरसता और भाईचारा पैदा होता है । अमीर-ग़रीब, छोटे-बड़े, अधिकारी-कर्मचारी सब कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ते हैं इससे ऊंच-नीच के सभी भेदभाव मिट जाते हैं । नैतिकता के पाठ के साथ-साथ नमाज़ के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी लाभ बोनस स्वरूप प्राप्त होते हैं ।

(2) ज़कात (अनिवार्य दान-पुण्य)

ज़कात, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की सहायतार्थ अनिवार्य दान है । यह दान प्रत्येक मुस्लिम को (जो इसकी सामर्थ्य रखता हो) अपने जमा धन में से ढाई प्रतिशत देना होता है । इस्लाम इसे भीख या टैक्स के रूप में नहीं, बल्कि संपन्न व्यक्ति के माल में ग़रीब और वंचित के हक़ के रूप में देखता है । आर्थिक दौड़ में जो लोग किसी कारणवश पिछड़ जाएं या किसी आपदा या मुसीबत का शिकार हो जाएं या कमाने वाला चल बसे और पीछे विधवा और अनाथ असहाय रह जाएं उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का यह एक सामाजिक बीमा है । इसका दूसरा बड़ा लाभ यह है कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपनी कमाई में से इस व्यय द्वारा मनुष्य में बलिदान और त्याग का गुण पैदा होता है । तंगदिली और धनलोलुपता दूर होती है । दीन-दुखियों के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति पैदा होती है ।

इस्लाम में यह एक इबादत है, मगर आर्थिक जगत के लिए आक्सीजन स्वरूप है । इसके माध्यम से बाज़ार में धन का प्रवाह होता है । असंपन्न के हाथ में जो धन पहुंचता है उससे बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है, जिससे उत्पादन तथा रोज़गार में वृद्धि होती है और समाज आर्थिक खुशहाली की ओर अग्रसर होता है । प्रतिवर्ष मालदार के धन से कम से कम ढाई प्रतिशत भाग का प्रवाह जब ग़रीब की ओर होता है, तो अमीर-ग़रीब के बीच का अंतर या आर्थिक असमानता धीरे-धीरे घटने लगती है । याद रहे कि धन का असमान वितरण या नाबराबरी वर्तमान युग की आर्थिक समस्याओं में बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है ।

(3) रोज़ा

मनुष्य को संयमी और सदाचारी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष इस्लामी कैलेंडर के रमज़ान मास के पूरे एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ (अनिवार्य) किये गये । इसमें पौ फटने से लेकर सूर्यास्त तक खान-पान तथा सहवास वर्जित है । बुराइयों से बचने की हिदायत है । नेकी के कामों पर उभारा गया है । कितनी ही भूख-प्यास लगी हो आदमी कुछ भी खाए-पिएगा नहीं । अकेले में भी नहीं, क्योंकि रोज़ेदार को एहसास है कि अल्लाह से कुछ छिपा नहीं है । ईश्वर के सर्वव्यापी होने और उसकी अदालत पर ईमान है, रसूल

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

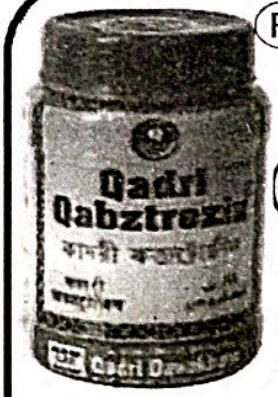

گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گھٹیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشتک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539
www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

(ईशदूत) का आज्ञापालन है, धैर्य और संकटों के मुक़ाबले का अभ्यास है । ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मन की इच्छाओं को दबाने की शक्ति है । रोज़ा इन्सान को भूख के कष्ट का अनुभव कराता है । जिससे उसमें भूखों के प्रति हमदर्दी का भाव पैदा होता है । सारे विश्व में एक ही महीने में रोज़े फ़र्ज़ होने के कारण सामाजिक एकता पैदा होती है । स्वास्थ्य की दृष्टि से रोज़े के अनगिनत लाभ भी रोज़ेदार प्राप्त करता है । रमज़ान मास के रोज़े वास्तव में एक ऐसा रेफ्रेशर कोर्स या प्रशिक्षण है, जो व्यक्ति को हर वर्ष सन्मार्ग पर डटे रहने की नयी ऊर्जा प्रदान करता है, उसे और अधिक आस्थावान, संयमी तथा चरित्रवान बनाता है ।

(4) हज

चौथी अनिवार्य चीज़ हज यात्रा है । जीवन भर में केवल एक बार इसका पालन आवश्यक है और वह भी उनके लिए जो मक्का तक आने-जाने का ख़र्च रखते हों । जहां अब मक्का बसा हुआ है वहां अब से हज़ारों वर्ष पहले ईश्वर के दूत हज़रत इब्राहीम (अलैहि०) ने एक छोटा-सा घर (काबा) अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, जिसे अल्लाह ने इस्लाम का केन्द्र बना दिया । नमाज़ के लिए उसी की ओर मुंह करने और सामर्थ्य होने पर उसका दर्शन तथा परिक्रमा करने का आदेश दिया । यह भी आदेश दिया कि इस घर की ओर आओ तो मन को शुद्ध करके आओ, वासनाओं को रोको, रक्तपात, दुष्कर्म और कटुवचन से बचो ।

इस्लामी कैलेंडर के ज़िलहिज्जा मास में पूरी दुनिया के मुसलमान हज के लिए इकट्ठे होते हैं । सब एक ही लिबास में दो सफ़ेद चादरें ओढ़े एकेश्वरवाद के केन्द्र की ओर खिंचे चले आते हैं । अब न कोई गोरा है न काला, न राजा, न प्रजा, न अमेरिकी, न अफ़्रीक़ी, सब एक समान हैं । वैश्विक भाईचारे का इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं । यहां आकर उसके ईमान में ताज़गी आती है । इस्लाम का इतिहास उसकी आंखों के सामने आता है । यहीं से इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपना मिशन शुरू किया था । विरोधियों ने इसी नगर से उन्हें हिजरत करने पर मजबूर किया था । फिर एक दशक में ही वह विजयी होकर इस नगर में पधारे तो इतिहास हैरान है कि सारे विरोधियों को आम माफ़ी की घोषणा कर दी गयी । ये सारी चीज़ें मानो आदमी अपने सामने देखता है जिसका गहरा भाव लेकर वापस आता है ।

पहचान

बनाना चाहती हूं
मानचित्र
स्त्री की इच्छाओं का
ज़मीं पर पैर जमाए
आकाश को छूने का
प्रयास करती हुई, नारी का ।
अपनी एकांत
दुनिया में मुस्कुराती
तृप्त होती हुई आम औरत का ।
कहीं प्रेम की पराकाष्ठा
कहीं भौतिक वस्तु मात्र
द्वंद्वात्मक भूमिकाओं में
ज़िन्दगी की जंग जीतती नारी का ।
कल, आण और कल
को खंगालती-मथती
अपनी अस्मिता के प्रति जाग्रत नारी का ।
धीरे से
खिड़की दरवाज़े खोलती
नयी पीढ़ी के लिए...
स्वच्छ विचारों का वातायन देती
अनन्य संभावनाओं का
मार्ग प्रशस्त करती हुई जागरूक नारी का ।
देह से ऊपर उठी नारी
अपनों से, परायों से
अपने अधिकारों के लिए
जूझती हुई संघर्षरत नारी का ।
मुस्कुराती, कराहती
लोहे के सांचे में ढली
नारी सीख रही अब जीना अपने लिए
अनामिका नहीं रही अब...
सुदृढ़ 'पहचान' बनाती आज की नारी ।

डॉ० अन्नपूर्णा श्रीवास्तव
कोटा, राज०

बच्चों का अदब

अमानत का बोझ	माइल ख़ैराबादी	20.00
एक इंसान दो किरदार	माइल ख़ैराबादी	12.00
ज़बान का ज़ख़्म	माइल ख़ैराबादी	15.00
तौहीद वाला शहज़ादा	माइल ख़ैराबादी	12.00
नादान	माइल ख़ैराबादी	28.00
फ़ैसले	माइल ख़ैराबादी	20.00
बिस्मिल्लाह की बरकत	माइल ख़ैराबादी	18.00
बुशरा के ख़त	माइल ख़ैराबादी	16.00
बड़ों का बचपन	माइल ख़ैराबादी	26.00
बड़ों की मायें	माइल ख़ैराबादी	14.00
सबक़ आमोज़ क़ुरआनी क़िस्से	माइल ख़ैराबादी	30.00
अन्देशों के गिरफ़्तार	माइल ख़ैराबादी	15.00
जन्नती बच्चा	माइल ख़ैराबादी	20.00
नीयत का फल	माइल ख़ैराबादी	35.00
प्यारे ख़लीफा	माइल ख़ैराबादी	50.00
आसान कहानियाँ	अफ़ज़ल हुसैन	10.00
अख़लाक़ी कहानियाँ 1-4	अफ़ज़ल हुसैन	52.00
साहसी चींटी	डॉ० शम्सुल इस्लाम फारूक़ी	30.00
कीड़ों का म्यूजियम	डॉ० शम्सुल इस्लाम फारूक़ी	34.00
नेक औरतें1,2	मतीन तारक़ बागपती	36.00
अन्धा इन्साफ़	मतीन तारिक़ बाग़पती	09.00
प्यासी आत्माएँ	इरफ़ान ख़लीली	30.00
इक़बाल की कविताएँ	सनाउल्लाह सुमन	18.00
प्यार के चिराग़	अबरार मोहसिन	28.00
क़ुरआन की बातें 1,2	सय्यद नज़र जैदी	46.00

MMI PUBLISHERS
• D-307,Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave
Jamia Nagar New Delhi-110025
• Phone:26981652,26984347 Mob: 7290092401
• E-mail:info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com
• Website:www.mmipublishers.net

इस्लाम : सबके लिए रहमत

■ डॉ॰ अब्दुल मुग़नी

क़ुरआन शरीफ़ की प्रस्तावना अर्थात सूरा-ए-फ़ातिहा में अल्लाह की विशेषताएं, रहमान व रहीम से पहले उसकी हस्ती को "रब्बुल आलमीन" अर्थात समस्त जगत का पालनहार कहा गया है और ये दोनों विशेषताएं ईश्वर की उसी कृपाशीलता से संबंधित हैं, बल्कि उसकी व्याख्या हैं। अरबी में "रब्ब" का अर्थ बहुत विस्तृत है और उसकी एक मौलिक विशेषता सबके लिए रहमत है। ईश्वर पूरे जगत और उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं का पालनहार और संरक्षक है और पूरी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की छत्रछाया ही में परवरिश पा रही है। रब की व्याख्या में दो पहलू मुख्य हैं। पहला यह कि ईश्वर को अपने बन्दों के साथ ऐसा गहरा और प्रबल प्रेम है जैसा कि मां को अपने बच्चे से होता है, दूसरा यह कि बन्दों पर खुदा की शफ़क़त (स्नेह) बाप के स्नेह की तरह छाया किये हुए है। ये दोनों पहलू प्रेम एवं स्नेह की पराकाष्ठा से संबंध रखते हैं।

इस दृष्टिकोण से इस्लाम में "ईश्वर" की कल्पना ईश्वर को मसीही कल्पना के अनुसार केवल बाप कह देने के "दोषपूर्ण विश्वास" से बहुत बेहतर है, क्योंकि इस कल्पना के अनुसार ईश्वर के साथ इन्सान का कोई वंशानुगत संबंध नहीं होते हुए भी इस रिश्ते की मुहब्बतों का इतना बड़ा अनुदान खुदा की ओर से इन्सान को मिल जाता है जो किसी वंशगत संबंधों से कभी मिल नहीं सकता। यही कारण है कि रब का अर्थ स्वामी व संरक्षक और मालिक व हाकिम भी है, अर्थात सामान्य एवं सामूहिक रूप से ईश्वर हर दृष्टि से इन्सान का पालनहार, संरक्षक, सहायक और मार्गदर्शक है। यह सामान्य और व्यापक रहमत की भावना है और उससे बढ़कर दया एवं करुणा की कोई कल्पना नहीं हो सकती। यह सत्य बहुत ही स्पष्ट रूप से क़ुरआन की निम्नलिखित आयतों में व्यक्त किया गया है–

"दंड तो मैं जिसे चाहूंगा दूंगा, मगर मेरी दयालुता हर चीज़ पर छाई हुई है।" (क़ुरआन, 7:156)

यही बात एक और आयत में इस प्रकार कही गयी है–

"उसने दयालुता की नीति अपने लिए अनिवार्य कर ली है।" (क़ुरआन, 6:12)

इसी ईश्वरीय कृपा का चमत्कार है कि मनुष्य की अनेक ग़लतियों और अवज्ञा के बावजूद उसे लगातार छूट दी जाती रही है।

"अगर कहीं वह लोगों को उनकी करतूतों पर (तुरंत) पकड़ता तो धरती में किसी प्राणधारी को जीवित न छोड़ता। किन्तु वह उन्हें एक नियत समय के लिए मोहलत दे रहा है। (क़ुरआन, 35:45)

प्रतिकार का विधान

निश्चय ही इस जगत का पालनहार सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय है और उसने दुनिया में एक सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील प्रतिकार का विधान (Law of Retribution) स्थापित किया है, जिसके आधार पर जीवन में ऐसा संतुलन पाया ज़ाता है, जो यदि नहीं होता तो पूरे विश्व में बिखराव पैदा हो जाता और कोई ऐसी मापदंड व्यवस्था स्थिर नहीं रहती जिसके अनुसार भले-बुरे के नैतिक फ़ैसले करके दुष्टों को सज़ा और नेक लोगों को इनाम दिया जा सके। यह व्यवस्था भी ईश्वर की करुणा का ही एक पहलू है। क्योंकि इसी के अंतर्गत बड़े-बड़े अपराधियों को दंड देकर बिगाड़ एवं भ्रष्टाचार का निरंतर दमन होता रहता है और इस धरती का वातावरण अभी तक इन्सान के लिए आनन्दमय है। प्रतिकार का विधान ही इस वातावरण को बार-बार साफ़ करके दूषित होने से बचाता रहता है, वरना ज़ालिमों की फैलाई हुई गन्दगियों में मानवता का दम घुट चुका होता। वास्तव में विश्व इतिहास में असामाजिक तत्वों की विध्वंसकारियों और आतंकवादी गतिविधियों पर सबसे बड़ी बाधा और चेतावनी ईश्वरीय शक्ति का प्रतिकार-विधान ही है। क़ुरआन में है–

"फिर जिस किसी ने कण भर नेकी की होगी, वह उसको देख लेगा। और जिसने कण भर बुराई की होगी, वह उसको देख लेगा।" (क़ुरआन, 99:7-8)

"थल और जल में बिगाड़ पैदा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि (ईश्वर) मज़ा चखाए उनको उनके कुछ कुकर्मों का, कदाचित वे बाज़ आ जाएं।" (क़ुरआन, 30:41)

Estd. 1983

حضرت علیؓ اکیڈمی، مظفر پور (بہار)

Hazrat Ali Academy



دینی وعصری تعلیم کا ایک مثالی ادارہ

Prep to Std.X Islampur,Muz. 7250086228	Prep to Std.VII Chandwara,Muz. 9934775080	Prep to Std.X Sadatpur,Muz. 9939448937

خصوصیات

CBSE & BSEB Curriculum
A Centre of Quality Education
Well Equipped Science & Computer Lab.
Co-curricular Activities
Annual excursion facility
Bus Facility
Observation with CCTV Cameras

۱۔ قرآن ودینیات اور اسلامی تاریخ نصاب میں شامل۔
۲۔ انگریزی، حساب وسائنس میں اعلیٰ استعداد پیدا کرنا۔
۳۔ باصلاحیت، قابل اور مشفق تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم۔
۴۔ بچیوں کے لئے محفوظ باپردہ اسلامی ماحول۔
۵۔ ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعہ طلباء واساتذہ کی تربیت۔
۶۔ دونوں میٹرک بورڈ میں بچے بچیوں کی صد فیصد کامیابی۔

Managed by:

Hazrat Ali Educational & Social Welfare Trust (Regd.)
Islampur, Muzaffarpur (Bihar)
E-mail:- hazrataliacademy@gmail.com
Website:-www.hazrataliacademy.in

"तेरा प्रभु ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अकारण विनष्ट कर दे, जबकि उनके निवासी सुधारक हों ।"

(क़ुरआन, 11:117)

"आख़िर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अकारण यातना दे ? अगर तुम कृतज्ञता दिखलाते रहो और ईमान की नीति पर चलो ।" (क़ुरआन, 4:147)

"यदि इस प्रकार अल्लाह मानवों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता, तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, किंतु संसार के लोगों पर अल्लाह की बड़ी उदार कृपा है ।" (क़ुरआन, 2:251)

यह विश्व का निरीक्षण है जो दुनिया से आख़िरत तक जारी है, प्रकृति का पहरा हर ओर लगा हुआ है, प्रत्येक वस्तु की समीक्षा की जा चुकी है और सारे काम एक नियम से हो रहे हैं, कठोरता एवं कोमलता के मिश्रण से एक संतुलित मार्ग स्पष्ट है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की समीक्षा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप से की जा रही है और इतिहास सबको सबक़ दे रहा है ।

रहमते आलम

जिस प्रकार ईश्वर ने स्वयं को 'रब्बुल आलमीन' (जगत का पालनहार) कहा है, उसी प्रकार हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को 'रहमतुल्लिल आलमीन' की उपाधि दी है । क़ुरआन में है–"हे नबी हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए दयालुता बनाकर भेजा है ।" (क़ुरआन, 21:107)

इस प्रकार रहमते आलम (सल्ल०) का चरित्र-चित्रण करते हुए पवित्र क़ुरआन ने आप (सल्ल०) के लिए "रऊफ़ुर्रहीम" (अत्यंत दयालु और कृपाशील) की उन दयालुतापूर्ण विशेषताओं का प्रयोग किया है जिनसे विश्व-स्वामी ईश्वर की हस्ती भी अलंकृत है । अपने अंतिम संदेष्टा की विनम्रता और स्नेहयुक्त स्वभाव का वर्णन ईश्वर ने क़ुरआन में एक स्थान पर इस व्याख्या के साथ किया है कि यह उसकी विशेष कृपा है–"(हे पैग़म्बर) यह अल्लाह की बड़ी कृपा है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म स्वभाव के हो । (क़ुरआन, 3:159)

इस संबंध में ख़ुदा के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का यह कथन अत्यंत विचारणीय है–"संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का परिवार है, अत: ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय वह है जो उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करे ।"

अब जो शरीअत (जीवन-व्यवस्था) रब्बुल आलमीन (समस्त विश्व के पालनहार) द्वारा प्रस्तावित हो और उसको अपने जीवन में अपना कर रहमतुल्लिल आलमीन (विश्व के लिए दयालुता) ने दिखाया हो, उस शरीअत में ईश्वर की सृष्टि के लिए कृपा, दया और न्याय का होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि मानवता के इतिहास में सामाजिक न्याय का सर्वोत्तम उदाहरण दुनिया के समक्ष हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शरीअत ही ने प्रस्तुत किया है । ऐसी आदर्श जीवन-व्यवस्था मानव के लिए आतंक नहीं शांति का साधन है, भय और ख़तरा नहीं, शांति और सुरक्षा का कारण है ।

इस्लाम में युद्ध और शांति की कल्पना

सर्वसुलभ दयालुता और रहमते आलम के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम में शांति और युद्ध की कल्पना का अध्ययन अत्यंत लाभकारी रहेगा । इस संबंध में सर्वप्रथम देखना चाहिए कि इस्लाम की दृष्टि में मानव-प्राण का महत्व कितना अधिक है । संसार की पहली हत्या का वर्णन करते हुए दिव्य क़ुरआन में धरती के सबसे पहले आतंकवादी, क़ाबील (आदम के पुत्र) को उसके भाई उसकी दुश्मनी का शिकार, हाबील का यह जवाब दर्ज किया गया है कि, "यदि तू मुझे क़त्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे क़त्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा ।" अर्थात एक सदाचारी ईश-भक्त कभी क़त्ल की चेष्टा नहीं करेगा । परंतु जब इस सुधारवादी और समझौतावादी जवाब के बावजूद दुष्ट क़ाबील ने अंतत: हाबील को क़त्ल कर दिया तो इस घटना पर प्रकाश डालते हुए और टिप्पणी करते हुए क़ुरआन, अल्लाह के इस आदेश की घोषणा करता है–

"इसी कारण से बनी इसराईल के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी मनुष्य को हत्या के बदले या धरती में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और कारण से मार डाला उसने मानो सारे ही मानवों की हत्या कर दी और जिसने किसी के प्राण बचाए उसने मानो सारे मानवों को जीवन दान किया ।" (क़ुरआन, 5:32)

इस आयत के तुरंत बाद दूसरी ही आयत में भूतल पर दंगा-फ़साद फैलाने वालों की सज़ा यह बतलाई गयी है कि अगर वे पकड़ में आने से पहले तौबा (बुराई छोड़ने का प्रण) न करें तो उन्हें परिस्थिति के अनुसार क़त्ल या देश निकाले की सज़ा दी जाए । इस सज़ा की व्याख्या करते हुए वर्तमान युग के सबसे बड़े इस्लामी चिंतक, मौलाना अबुल आला मौदूदी (रह०) अपने अनूदित क़ुरआन मजीद में

लिखते हैं–"भूतल से अभिप्राय यहां वह देश या वह क्षेत्र है जिसमें शांति-व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व इस्लामी सत्ता ने ले रखा हो और खुदा व रसूल (सल्ल॰) से लड़ने का अर्थ उस सदाचारपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करना है, जो इस्लामी सत्ता ने देश में स्थापित कर रखी हो । इस्लामी विधि शास्त्रियों की दृष्टि में इससे मुराद वे लोग हैं जो सशस्त्र होकर और जत्था बनाकर डाकाज़नी और लूटमार करें ।"

स्पष्ट रहे कि इस आयत में बिगाड़ और फ़साद फैलाने वालों को खुदा और रसूल से लड़ने वाला बताया गया है । इसके अतिरिक्त दूसरे कई स्थानों पर पवित्र कुरआन ने 'फ़ितना' को क़त्ल से बड़ा और अधिक जघन्य अपराध घोषित किया है । क्योंकि इसकी विनाशकारियां इतनी विस्तृत और इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि पूरी की पूरी क़ौम तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है । अत: 'फ़ितना' व फ़साद के अभियुक्तों के लिए इस्लाम शीघ्र प्रभावी सज़ाएं प्रस्तावित करता है, ताकि समाज में बिगाड़ और आतंकवाद को फलने-फूलने का अवसर न मिले और निर्दोष व्यक्ति उसका शिकार न बनें । स्पष्ट है कि जिस समाज में बिगाड़ और फ़साद की खुली छूट होगी उसमें मनुष्य को वास्तविक राहत और प्रगति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वहां कुछ व्यक्ति अपनी सत्ता और धन के बल पर कुछ दिनों के लिए कितनी ही मौज-मस्ती कर लें । अत: फ़ितना व फ़साद फैलाने वाले स्वार्थी तत्वों को कुरआन चेतावनी देता है–"वह परलोक का घर तो हम उन लोगों के लिए आरक्षित कर देंगे, जो धरती में अपनी बड़ाई नहीं चाहते, और न बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं । और परिणामत: भलाई (ईश्वर का) डर रखने वालों ही के लिए है ।"

(कुरआन, 28:83)

इस संबंध में इस्लाम विश्व में एक सर्वव्यापी सुधार का सिद्धांत प्रस्तुत करके मानवता के सकारात्मक आधारों और उसके रचनात्मक उद्देश्यों पर बल देता है । कुरआन में है–

"धरती में बिगाड़ पैदा न करो, जबकि उसका सुधार हो चुका है, और अल्लाह ही को पुकारो भय के साथ और लोभ के साथ । निश्चय ही अल्लाह की दयालुता अच्छे चरित्र वाले लोगों के समीप है ।" (कुरआन, 7:56)

इस आयत में एक विश्वव्यापी संतुलन की ओर संकेत है, जिसकी स्थापना पर ही जीवन की समस्त क्रिया-कलापों का अस्तित्व निर्भर करता है । अत: हो लोग सरकशी और अत्याचार करके इस संतुलन को भंग करते हैं वे फ़ितना (फ़साद) फैलाने वाले और भ्रष्ट एवं अपराधी हैं जिनसे संघर्ष और उनका दमन हर इन्सान का एक नैतिक दायित्व होने के साथ-साथ उसकी प्रकृति की मांग भी है । कुरआन इस मांग को स्वीकार करते हुए भी प्रतिकार के लिए उचित सीमाएं निश्चित करता है–"और यदि तुम लोग बदला लो तो बस उतना ही ले लो जितनी तुम पर ज़्यादती की गयी हो । किंतु यदि तुम धैर्य से काम लो तो निश्चय ही यह धैर्यवानों ही के लिए अधिक अच्छा है ।"

(कुरआन, 16:126)

"अत: जो तुम पर हाथ उठाए, तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठा सकते हो, अलबत्ता ईश्वर से डरते रहो और यह जान रखो कि ईश्वर उन्हीं लोगों के साथ है, जो उसकी सीमाओं के उल्लंघन से बचते हैं ।" (कुरआन, 2:194)

यह अत्याचार के मुक़ाबले में एक रक्षात्मक ढंग है जिसका उद्देश्य स्पष्टत: अत्याचार की रोकथाम और न्याय व्यवस्था की स्थापना है । यही वह उच्चतम सृजनात्मक एवं सुधारवादी उद्देश्य है जिसके लिए इस्लाम ने अपने अनुयायियों पर जिहाद अनिवार्य किया है । कुरआन में है–"अनुमति दी गयी उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित हैं और अल्लाह को निश्चय ही उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है । ये वे लोग हैं जो अपने घरों से अनुचित रूप से निकाल दिये गये केवल इसलिए कि वे कहते थे, हमारा प्रभु अल्लाह है ।" (कुरआन, 22:39,40)

इस आयत (39) पर मौलाना मौदूदी की टिप्पणी इस प्रकार है–"यह अल्लाह के रास्ते में युद्ध करने के बारे में सबसे पहली आयत है जो अवतरित हुई । इस आयत में सिर्फ़ अनुमति दी गयी थी । बाद में सूरह बक़रा की आयतें 190 से 193 और 316 और 224 अवतरित हुईं, जिनमें युद्ध का आदेश दिया गया है । इन आदेशों में केवल कुछ महीनों का अंतराल है । हमारे शोध के अनुसार यह अनुमति ज़िलहिज्जा सन 1 हिजरी में अवतरित हुई और आदेश बद्र की लड़ाई से कुछ पूर्व रजब या शाबान 2 हिजरी में अवतरित हुआ ।"

जिहाद का आदेश भी न्याय की शर्त के साथ दिया गया–"और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो, जो तुमसे लड़ते हैं, परंतु ज़्यादती न करो कि अल्लाह ज़्यादती

करने वालों को पसन्द नहीं करता ।'' (कुरआन, 2:190)

इस आदेश में न्याय की शर्त और उसकी नसीहत के अलावा दो मौलिक बातें ये हैं कि लड़ना उन लोगों से है जो लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और लड़ना भी केवल ईश्वरीय मार्ग में है, किसी देश की सत्ता हथियाने की लोलुपता, युद्ध में प्राप्त संपत्ति के लोभ और निजी प्रतिशोध की भावना से नहीं । इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आगे की आयतें स्पष्ट करती हैं कि–

(1) अल्लाह और रसूल से अनुचित लड़ने वाले अगर अपनी युद्ध-प्रवृत्ति से ''बाज़ आ जाएं तो अल्लाह क्षमा करने और दया करने वाला है ।''

(2) लड़ाई केवल उस समय तक जारी रखी जाए जब तक फ़ितना (अत्याचार) बाक़ी है और खुदा और रसूल की अवज्ञा करने वाले ये अत्याचारी इस सीमा तक हतोत्साहित न हो जाएं कि सत्य का बोलबाला हो जाए ।''

(3) और ''ज़ालिमों (अत्याचारियों) के अतिरिक्त किसी पर हाथ उठाना उचित नहीं ।''

एक दूसरे अवसर पर सूरह अन-निसा की आयतें 75 और 76 में बताया गया है कि जब किसी स्थान पर 'कमज़ोर मर्द, औरतें और बच्चे'' अत्याचारों के विरुद्ध फ़रियाद करें तो उनकी दादरसी भी करनी चाहिए और ज़ालिमों के पंजे से उनकी रिहाई के लिए हथियार उठाना चाहिए, मगर ईश्वर के आज्ञाकारी बन्दों का युद्ध हमेशा ''ईश्वर की राह में'' होता है, जबकि अवज्ञाकारियों का युद्ध ''शैतान की राह'' में होता है । इसी प्रकार सूरह निसा ही की 88 से 91 तक की आयतों में दुष्टों और धोखेबाज़ों से युद्ध का निर्देश देते हुए व्याख्या की गयी है कि : ''अगर वे तुमसे दूर हो जाएं और लड़ाई से रुके रहें और तुम्हारी तरफ़ शांति एवं मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर हाथ उठाने की कोई राह नहीं रखी है ।''

दुष्टों एवं दंगाइयों को शिक्षाप्रद पराजय देने के लिए हर प्रकार की आवश्यक ''शक्ति'' और सामरिक साधनों को उपलब्ध करने का निर्देश देते हुए भी क़ुरआन शांति की इच्छा का जवाब शांति की चेष्टा से ही देने की ताकीद करता है ।

''और हे नबी, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की ओर तैयार हों तो तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, निश्चय ही वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है ।'' (कुरआन, 8:61)

इन व्याख्याओं से यह सत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम का मौलिक और स्थायी उद्देश्य शांति है, जबकि युद्ध एक अस्थायी और क्षणिक घटना है, एक सामयिक संकट है, जिसको दूर करने के लिए कुछ उचित शर्तों के साथ और निश्चित सीमाओं के अन्दर शक्ति का प्रयोग न केवल वैध बल्कि आवश्यक है ।

बहरहाल, इस्लाम के मानने वालों के लिए युद्ध नाम है सत्य एवं असत्य की लड़ाई का, जिसमें सम्मिलित होकर उन्हें अपने ईमान का सबूत देने के लिए असत्य के विरुद्ध सत्य के लिए जान लड़ानी है । इसीलिए इस्लामी जिहाद का दूसरा नाम 'शहादत-ए-हक़' अर्थात अपने कर्मों से सत्य की गवाही देना और उसकी सुरक्षा में जान व माल और आबरू सबका ख़तरा मोल लेना है । सामूहिक हितों और मानवता की सुरक्षा के लिए क़ुरबानी देनी है । यह जिहाद जिसका अर्थ खुदा की राह में सतत् प्रयास है, जीवन के हर पल और हर क्षेत्र में अल्लाह पर ईमान रखने वालों को ईश्वरीय आदेशों के अनुसार अपनी अंतिम सांस तक अपनी पूरी शक्ति के साथ करना है ।

इस्लामी जिहाद की इसी शान का एक मुख्य पहलू प्रत्येक स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की मर्यादाओं को निभाना है, उस समय तक जब तक कि दूसरा पक्ष विश्वासघात और अपने समझौते को तोड़ने के लिए तत्पर न हो जाए, जिसके बाद उसके विरुद्ध किसी कार्रवाई से पहले समझौते के ख़त्म होने की घोषणा कर देनी है । क़ुरआन में है–''हां, यदि वे धर्म के मामले में तुमसे सहायता मांगें तो उनकी सहायता करनी तुम पर अनिवार्य है, लेकिन किसी ऐसी जाति के विरुद्ध नहीं जिससे तुम्हारा समझौता हो ।'' (क़ुरआन, 8:72)

''और अगर तुम्हें किसी जाति से विश्वासघात की आशंका हो तो उसकी संधि को खुल्लम-खुल्ला उसके आगे फेंक दो ।'' (क़ुरआन, 8:58)

हुदैबिया संधि के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल॰) ने मक्का विजय की कार्रवाई क़ुरआन की उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार ही की ।

शांति और युद्ध की इस्लामी कल्पना से अधिक यथार्थवादी और न्यायोचित कल्पना इस भौतिक संसार में असंभव है और न इतिहास के पर्दे पर कभी उभरी है ।

पीड़ित महिलाओं की समस्याएं

■ ज़हीर ललितपुरी



जैसे-जैसे औरतें घर की दहलीज़ से बाहर निकलकर अपनी तरक़्क़ी के लिए मैदान में आ रही हैं, उनके साथ दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं । उनके साथ अन्याय, भेदभाव, दुर्व्यवहार होना आम बात है । आजकल कामकाजी औरतों को सबसे अधिक जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो है यौन शोषण । यौन शोषण, छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाओं की संख्या इस क़दर बढ़ती जा रही हैं कि औरतों को घर से बाहर निकलने से पहले सौ बार सोचना पड़ता है ।

मौजूदा दौर में औरत घर के अन्दर बैठी भी नहीं रह सकती । घर से बाहर निकलना उसकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है । आजकल के हालात में न तो औरतों के घर से निकलने पर पाबन्दी लगायी जा सकती है और न ही उनकी सुरक्षा की तरफ़ से पूर्णत: आश्वस्त हुआ जा सकता है । ऐसे माहौल में वर्क प्लेस पर औरतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से उन्हें कैसे बचाया जाए यह सोचना बहुत ज़रूरी है ।

यौन शोषण से पीड़ित कामकाजी औरत की पीड़ा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है । पिछले दिनों मी टू अभियान ने और लगातार यौन शोषण से पीड़ित औरतों के इस संबंध में आये बयानों ने दिमाग़ों को झकझोर कर रख दिया । कामकाजी औरतों का यौन शोषण होना कोई नयी बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पढ़ी-लिखी समझदार और बहादुरी के साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ इस क़दर यौन शोषण के पोशीदा मामलों की कल्पना करना असंभव है ।

मी टू अभियान ने सामान्य घरों की औरतों के घर की चाहदीवारी से बाहर निकल कर काम करने को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है । ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए यह और भी कठिन हो गया है । जैसे-तैसे मुस्लिम समाज ने अपने घरों की औरतों का घर से बाहर निकल कर कामकाज करना स्वीकार किया है और उसे मान्यता दी, लेकिन इन हालात में उन्हें घर से बाहर निकलना भी दूभर हो सकता है ।

दरअस्ल जो मी टू के मामले खुलकर सामने आये हैं वो ऐसी औरतों के बारे में हैं जो आज़ाद ख़याल हैं और आधुनिकता को पसन्द करती हैं । उन्होंने ख़ुद अपने आप खुले माहौल में आज़ादी के साथ जीने के लिए आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाया है । हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के बाहर जिन औरतों ने अपने यौन शोषण की शिकायत की है उनमें से अधिकतर फ़िल्म जगत और पत्रकार जगत से हैं । फ़िल्म जगत और पत्रकार जगत से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें बहुत बोल्ड और साहसी होती हैं ।

अत: यह बात सुनकर ताज्जुब होता है कि उनके साथ भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई ग़लत हरकत करने की हिम्मत कर सकता है । यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि जब इतनी बोल्ड और साहसी तथा उच्च स्तर की औरतों का शोषण हो सकता है और वे अपने शोषण की बात ज़ाहिर करने की हिम्मत भी बहुत दिन के बाद और बड़ी मुश्किल

सुरक्षा के उपाय अपनाएं



से जुटा पायी हैं तो उन औरतों के साथ क्या होता होगा जो ग़रीब और मज़दूर हैं या मामूली नौकरियां करती हैं । वे तो अपनी बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकती ।

मी टू के मामले सामने आने से और आम औरतों और नाबालिग़ लड़कियों के साथ अपहरण, छेड़छाड़, रेप और गेंगरेप की आये दिन होने वाली घटनाओं से यह बात तो ज़ाहिर हो गयी है कि औरतों की इज़्ज़त-आबरू हर जगह ख़तरे में हैं । उनकी हिफ़ाज़त के लिए सख़्त क़ानून बनाए जाने के बावजूद शासन-प्रशासन औरतों की हिफ़ाज़त करने में नाकाम रहा है । वर्तमान माहौल में औरतें अपने कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकलें या नहीं यह एक महत्वपूर्ण सवाल है । यह सवाल किसी ख़ास धर्म, तबक़े, समाज, जाति-बिरादरी तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर औरत से ताल्लुक़ रखता है ।

सभी औरतें अपने शौक़ के लिए, समय गुज़ारने के लिए या अपनी योग्यता व पढ़ाई-लिखाई का इस्तेमाल करने के लिए या लाइफ़ स्टेंडर्ड मेंटेन करने के लिए नौकरी या काम-धंधा नहीं करती । कुछ ऐसे हालात होते हैं, मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से अक्सर औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है । औरतों की नौकरी या काम धंधा करने की मजबूरी के साथ-साथ कुछ ऐसे काम भी हैं जो बिना औरतों के सहयोग से पूरे नहीं हो सकते । अतः इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, हर पहलू से, बहुत संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है ।

आजकल हर धर्म के मानने वाले परिवारों की औरतें घर से बाहर निकल कर मैदान में आ चुकी हैं । मुस्लिम औरतें भी सरकारी विभागों में और अन्य क्षेत्रों में सर्विस करने के लिए और कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकल रही हैं । उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं इस पर अक्सर उलेमा इकराम अपनी राय पेश करते हैं । लेकिन हालात के तहत इस मसले पर संजीदगी से ग़ौर करने की ज़रूरत है । औरतों को मौजूदा दौर में पिंजड़े की तरह क़ैद में रखना मुमकिन नहीं । अन्य धर्मों की औरतों की तरह मुस्लिम औरतें भी अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी, काम-धंधा और कारोबार करने के लिए मजबूर हैं ।

हालांकि कई ऐसे विभाग हैं जहां औरतों की क़तई आवश्यकता नहीं है । कई ऐसे काम हैं जहां औरतों की शारीरिक, भौतिक और प्राकृतिक कमज़ोरियों के कारण काम करना अस्वाभाविक है । लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां औरतों के बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता । तो यहां सवाल पैदा होता है कि उन क्षेत्रों और विभागों में जहां औरतों को काम करने की ज़रूरत नहीं है और जहां उनकी इज़्ज़त-आबरू हमेशा ख़तरे में रहती है, क्या वहां औरतों से करवाना ज़रूरी है ? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या औरतों को सिर्फ़ उन महकमों या विभागों में काम करने की इजाज़त दी जाए ज़हां सिर्फ़ औरतों की ज़रूरत है और जहां उनकी इज़्ज़त-आबरू भी सुरक्षित है ? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है ।

इस्लाम धर्म में औरतों को ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकल कर काम-धंधा करने की कोई इजाज़त है या नहीं, है तो कैसे और किस हद तक, इसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत हमेशा महसूस की गयी है और आज भी महसूस की जा रही है । जब अन्य समाजों की तरह आजकल मुस्लिम औरतों को भी रोज़गार की समस्या से जूझना पड़ रहा है । जब मौजूदा दौर में मुस्लिम औरतों के सामने अनेकों नयी चुनौतियां हैं ।

कुछ औरतों को अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाने की ज़रूरत पड़ रही है और सिर्फ़ अपनी ही नहीं बल्कि कई औरतों को अपने पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की ज़िम्मेदारी के बोझ को ढोना पड़ रहा है । एक तरफ़ उनके सामने अपने घर-परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ज़िम्मेदारी है तो दूसरी तरफ़ समाज के उन क्षेत्रों में जिनका तक़ाज़ा है कि औरतों को ही उन क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए, मुस्लिम औरतों से भी घर से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए अपेक्षा की जा रही है, तब ?

अमूमन मुस्लिम औरतें नौकरी, तिजारत और कारोबार करना पसन्द नहीं करतीं । दूसरे धर्म की औरतें भी, अगर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पसन्द नहीं करती हैं । लेकिन मौजूदा दौर में अपनी और अपने परिवार की जायज़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अन्य धर्मों की औरतों की तरह मुस्लिम औरतें भी नौकरी, कारोबार और तिजारत के लिए घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रही हैं । हर परिवार की ज़रूरतें बढ़ रही हैं । उनमें से ज़्यादातर ज़रूरतें ऐसी हैं जिनका नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता ।

मुसलमानों की ग़रीबी, मुस्लिम मर्दों की बेरोज़गारी और कम आमदनी की वजह से भी मुस्लिम औरतें काम-धंधा करने के लिए मजबूर हो रही हैं । दरहक़ीक़त सिर्फ़ अपनी और अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही औरतों का घर से निकलना मजबूरी नहीं है । मौजूदा हालात में कुछ ऐसी नौकरियां और काम हैं जिनके लिए सिर्फ़ औरतों की ही ज़रूरत है । इसलिए औरतों का काम करना और घर से बाहर निकलना लाज़िमी हो गया है ।

पहले औरतें कमज़ोर होती थी इसलिए उन्हें अबला कहा जाता था और उन्हें मर्दों के सहारे रहना पड़ता था । मर्द उनका भरण-पोषण व संरक्षण करते थे और उनके सम्मान की रक्षा करते थे । आज औरतों को परिस्थितियों वश और बदलते सामाजिक परिवेश में घर से बाहर निकलना पड़ा । औरतें अब सिर्फ़ आत्मनिर्भर नहीं हो रही हैं बल्कि दूसरों के भरणपोषण और संरक्षण की ज़िम्मेदारी निभा रही हैं और सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि सारे मानव समाज को अपना सहयोग प्रदान कर रहीं हैं । इस दौर में औरतें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं ।

आजकल कुछ ऐसे महकमे हैं जिनमें काम सिर्फ़ औरतों को करना चाहिए और हर महकमे में कुछ ऐसे पद होते हैं जिन पर औरतों का होना ज़रूरी होता है । शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में तो औरतों की भूमिका और आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है । इसके अलावा पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था में भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है ।

न्याय के क्षेत्र में, न्यायालयों के समक्ष आजकल औरतों से संबंधित मामलों की संख्या बढ़ रही है इसलिए इस क्षेत्र में जागरूक, पढ़ी-लिखी कामकाजी महिलाओं की सख़्त ज़रूरत है । महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, तलाक़, यौन शोषण, छेड़छाड़, बलात्कार और बलात्कार आदि के मुक़दमों में एक पक्ष औरत होती है किंतु इस क्षेत्र में महिलाओं के कम होने के कारण उसे अपना पक्ष रखने, शिकायत करने और बयान देने के लिए पुरुष न्यायाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों और पुरुष अधिवक्ताओं के समक्ष अपना पक्ष रखने व न्याय, सुरक्षा और संरक्षण के लिए गुहार करने को मजबूर होना पड़ता है।

आज भी न्यायालयों में इतनी महिला कर्मचारी, अधिकारी, न्यायाधीश व न्यायिक दंडाधिकारी नहीं हैं जिनके सामने महिलाएं खुलकर अपना पक्ष रख सकें और अपनी परेशानी को खुलकर बता सकें । हमारे देश में ऐसा क़ानून है कि अपहरण, छेड़छाड़, बलात्कार के मामलों में पीड़िता चाहे

नाबालिग़ हो या बालिग़ उसके बयान, साक्ष्य और मुक़दमों का ट्रायल आदि महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए और उनके मुक़दमे भी महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महिला सत्र न्यायाधीश के सामने ट्रायल होने चाहिए । इसलिए हर ज़िले में कम से कम दो महिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश होना ज़रूरी है । किंतु न्याय विभाग में पर्याप्त महिला अधिकारी न होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है ।

अभी तक हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में बोल्ड और सक्षम महिला अधिवक्ता भी नहीं हैं जो शोषित महिलाओं की पैरवी और मदद कर सकें । उनका पक्ष सुनकर उनकी समस्या का हल करवा सकें । उन्हें न्याय, सुरक्षा और संरक्षण दे सकें । अत: इस क्षेत्र में पढ़ाई करने व अपनी सेवाएं देने के लिए औरतों का घर से बाहर निकलना ज़रूरी है ।

इसी प्रकार बीमार महिलाओं की चिकित्सा और देखभाल के लिए महिलाओं का होना ही उचित होता है । क्योंकि जहां औरतों को पुरुषों से इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है वहां उनके यौन शोषण का ख़तरा हमेशा बना रहा है । वहां पर नाबालिग़ और क्वांरी लड़कियों को तो और अधिक असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । आजकल औरतों की चिकित्सा के लिए जिन अस्पतालों में जाना पड़ता है उन अस्पतालों में मर्द डॉक्टर, कम्पाउंडर, नर्स आदि से उनका साबक़ा पड़ता है ।

दूसरी तरफ़ जहां औरतें डॉक्टर, नर्स, कम्पाउंडर आदि का काम करती हैं वहां उन्हें मर्दों की तीमारदार और सेवा करनी पड़ती है । महिलाओं के कई ऐसे मर्ज़ हैं जिनके इलाज और ऑपरेशन आदि के लिए महिला डॉक्टर, नर्स, कम्पाउंडर आदि न होने के कारण यह काम पुरुषों को करना पड़ता है ऐसे में औरतों को बेशर्मी व बेपर्दगी का सामना करना पड़ता है । यदि चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में महिला सेविकाएं मौजूद हों तो महिलाओं ख़ासकर पर्दानशीन महिलाओं को बहुत आसानी हो सकती हैं ।

इसी प्रकार शिक्षा विभाग में लड़कियों की शिक्षा, महिला सेल्टर होम, बेसहारा लड़कियों और औरतों के लिए बने अनाथालय और विधवा आश्रमों में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की सख़्त ज़रूरत होती है । पोस्ट ऑफ़िस, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर ऐसी डेस्क अथवा विन्डो की ज़रूरत ख़ासतौर से महसूस की जाती है कि जहां औरतों का महिला कर्मचारियों के ज़रिये औरतों को सेवा दी जा सकती है ।

इन हालात में महिलाओं से ताल्लुक़ रखने वाले महकमों पद की ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए जिन योग्यताओं की और शिक्षा के स्तर की ज़रूरत होती उसे पाने के लिए भी औरतों का घर से बाहर निकलना लाज़िम हो जाता है ।

वस्तुत: बड़े पैमाने पर, औरतों के साथ वर्कप्लेस पर होने वाले यौन शोषण, छेड़छाड़, अपहरण और बलात्कार के बढ़ते हुए मामलों से औरतों का घर से बाहर निकल कर स्वयं, परिवार, समाज, देश और इन्सानियत की सेवा करना बहुत ख़तरनाक और कठिन होता जा रहा है । कामकाजी औरतों का वजूद और उनकी आबरू दोनों ख़तरे में है । इसलिए उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष क़दम उठाने की ज़रूरत है ।



शादी : परिवार की बुनियाद

■ शाज़िया अफ़ज़ल

इस्लाम में निकाह का मतलब दो लोगों के बीच भावनात्मक एवं शारीरिक लगाव ही नहीं, बल्कि बहुत ही बुलंद और बेहतरीन उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है, इनमें से एक मुख्य उद्देश्य आपस में मिलकर ख़ानदान के रूप में प्रेम-मुहब्बत और शान्ति-सुकून से परिपूर्ण एक ऐसे परिवेश का निर्माण है, जहां पति-पत्नी मान-सम्मान, इज़्ज़त और आत्म-समर्पण के साथ एक-दूसरे की सुरक्षा का कारण बनें और आने वाली नस्लों की पैदाइश, लालन-पालन और शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी हों । अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में फ़रमाता है–

''लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए । उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ मांगते हो, और नाते-रिश्ते के संबंधों को बिगाड़ने से बचो । यक़ीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है ।
(कुरआन, 4:1)

कुरआन में निकाह को 'मोहसिन' ठहराया गया है । सूरह अन-निसा में निकाह के संबंध में रहनुमाई करते हुए मर्दों के लिए फ़रमाया गया है–''शर्त यह है कि निकाह के घेरे में लेकर उन्हें सुरक्षित करो, न कि स्वच्छंद कामतृप्ति करने लगो ।'' (4:24) और औरतों के लिए फ़रमाया गया–''वे निकाह की परिधि में सुरक्षित (मुहसनात) होकर, स्वच्छंद कामतृप्ति न करती फिरें और न चोरी-छिपे नाजायज़ संबंध बनाएं ।''
(कुरआन, 4:25)

अतीत में दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए फ़ौजें क़िलाबन्द हो जाया करती थीं । इस क़िला के लिए अर्थात मज़बूत पनाहगाह के लिए अरबी भाषा में हिस्न (दुर्ग) की पारिभाषिक शब्दावली इस्तेमाल की जाती है । निकाह या शादी को हिस्न के साथ निर्धारित करने से अभिप्राय है कि पति-पत्नी ख़ानदान की परिधि में रहते हुए वफ़ादारी के साथ एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा करेंगे । वे अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारें ।

निकाह कोई सांसारिक लज़्ज़त और मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर समझौता है, जिसे तक़वा और अल्लाह के भय के बिना निभाना संभव नहीं, इसलिए निकाह के ख़ुत्बे में पढ़ी जाने वाली तीन आयतों में चार बार 'अल्लाह से डरो' की ताकीद की जाती है । इसी तरह एक मज़हबी फ़रीज़ा होने के साथ-साथ चूंकि इसके ज़रिए समाज में एक नये ख़ानदान की वृद्धि भी हो रही है, इसलिए इसकी शुरुआत विधिवत रूप से ऐलान के साथ गवाहों की मौजूदगी में निकाह क़बूल किया जाता है, ताकि सोसायटी में लोगों को मालूम हो जाए कि अमुक मर्द और अमुक औरत निकाह के पवित्र बंधन में बंध गये हैं । इस तरह निकाह दो लोगों का व्यक्तिगत मामला है । यह ऐसा बंधन है जिसके हित दो लोगों तक सीमित नहीं रहते । नि:संदेह यह उनके लिए एक ख़ुशगवार अनुभव है, लेकिन इसके साथ ही साथ वे एक ऐसे बेमिसाल इदारे की बुनियाद डालते हैं जो मुहब्बतों, चाहतों, उम्मीदों, त्याग और क़ुरबानी का ताना-बाना है ।

यही चीज़ उनके बीच कशिश और मुहब्बत की बुनियाद है और उन्हें एक-दूसरे का जीवन साथी बनकर रहने पर विवश करती है । इस मुहब्बत और इसके नतीजे में अस्तित्व में आने वाली ख़ानदानी ज़िन्दगी को अल्लाह तआला ने अपने सामीप्य की निशानियों में से एक निशानी ठहरा दिया है । कुरआन में फ़रमाया गया है–

''और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही सहजाति से बीवियां बनायीं ताकि तुम उसके पास शान्ति प्राप्त करो और तुम्हारे बीच प्रेम व दयालुता पैदा कर दी । यक़ीनन इसमें बहुत-सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं ।''
(कुरआन, 30:21)

मौलाना अबुल आला मौदूदी (रह०) इस आयत की व्याख्या में तफ़हीमुल कुरआन के जिल्द तीन में पृष्ठ, 814-815 पर लिखते हैं–"अर्थात यह इन्तिज़ाम अललटप नहीं हो गया है, बल्कि बनाने वाले ने इरादे के साथ इस ग़रज़ के लिए यह इन्तिज़ाम किया है कि मर्द अपनी फ़ितरत के तक़ाज़े औरत के पास और औरत अपनी फ़ितरत की मांग मर्द के पास से पाए । और दोनों एक-दूसरे से मिलकर ही सुकून व इत्मीनान प्राप्त करें । यही वह हिकमत भरी तदबीर है, जिसे पैदा करने वाले ने एक तरफ़ इन्सानी नस्ल के बाक़ी रहने का और दूसरी तरफ़ मानव सभ्यता व संस्कृति को अस्तित्व में लाने का ज़रिया बनाया है ।

अगर ये दोनों जातियां सिर्फ़ अलग-अलग डिज़ाइनों के साथ पैदा कर दी जातीं और उनमें वह बेचैनी न रख दी जाती, जो उनके आपसी मिलन के बिना सुकून में नहीं बदल सकती, तो इन्सानी नस्ल तो संभव है कि भेड़-बकरियों की तरह चल जाती, लेकिन किसी सभ्यता व संस्कृति के अस्तित्व में आने की कोई संभावना न थी । जानवरों की तमाम जातियों के बरख़िलाफ़ इन्सानों में सभ्यता व संस्कृति के पैदा होने का मूल कारण यही है कि पैदा करने वाले ने अपनी हिकमत से मर्द और औरत में एक-दूसरे के प्रति वह मांग, वह प्यास, वह बेचैनी की कैफ़ियत रख दी, जिसे सुकून नहीं मिलता, जब तक कि वह एक-दूसरे से जुड़ कर न रहें । यही सुकून की चाहत है जिसने उन्हें मिलकर घर बनाने पर मजबूर किया । इसी की बदौलत ख़ानदान और क़बीले अस्तित्व में आए और इसी की बदौलत इन्सान की ज़िन्दगी में सामाजिकता पली-बढ़ी ।"

अगर मर्द और औरत, मियां-बीवी बनकर ख़ानदान के रूप में रहने के लिए तैयार न हों तो मानव-समाज जंगल का मंज़र पेश करता, जहां अमानुषिक ज़रूरतें तो पूरा हो जातीं, लेकिन मुहब्बत व हमदर्दी, त्याग व क़ुरबानी और सहायता, जो सभ्यता व संस्कृति का अनिवार्य अंग हैं मौजूद न होतीं । पश्चिम में होने वाले एक सर्वे के अनुसार ख़ानदान की पनाह में परवरिश पाने वाले बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में 44 प्रतिशत कम शारीरिक रूप से हिंसा का शिकार होते हैं । 47 प्रतिशत कम शारीरिक रूप से उपेक्षा का और 43 प्रतिशत कम भावनात्मक रूप से उपेक्षा का शिकार होते हैं ।

सोलह साल की आयु में ऐसे बच्चे ज़्यादा अच्छे ग्रेड प्राप्त करते हैं । संतुलित शिक्षण संस्थानों में दाख़िला लेते हैं और हाज़िरी का रिकार्ड भी अच्छा रखते हैं । ऐसे बच्चों में भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक मसले और व्यावहारिक समस्याएं दूसरे बच्चों में उभरने वाले मसलों के मुक़ाबले में आधे से भी कम हैं । नशीले पदार्थों और तंबाकू का सेवन ऐसे बच्चों में दूसरे बच्चों की तुलना में एक तिहाई होती है और ज़िन्दगी के पहले तीन सालों में इनसे अपराध का इर्तिकाब असुरक्षित वातावरण में परवरिश पाने वाले लोगों की तुलना में आधा होता है ।

इस आकड़े से ख़ानदानी ज़िन्दगी की अहमियत बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और कहना ग़लत न होगा कि ख़ानदान समाज की तरक़्क़ी और सभ्यता और संस्कृति के विकास में इतनी ज़बरदस्त भूमिका अदा करता है कि इसको मज़बूत करने के लिए बड़ी से बड़ी क़ुरबानी दी जा सकती है ।

इस्लामी समाज में निकाह दूरगामी परिणामों का समर्थक है और समाज के निर्माण में पहली ईंट है । एक आदर्श समाज की स्थापना का ख़्वाब उस वक़्त तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसकी बुनियादी इकाई अर्थात ख़ानदान मज़बूत न हो । यही कारण है कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में पारिवारिक जीवन से संबंधित आदेश जिस तरह विस्तृत रूप से दिये हैं, किसी और जीवन-क्षेत्र के लिए नहीं दिए ।

निकाह चूंकि ख़ानदान के लिए मज़बूत बुनियाद फ़राहम करता है, इसलिए ताकीद की गयी है कि ऐसे साथी का चुनाव किया जाए, जो निकाह को ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण और परिणामदायक बनाए और एक मज़बूत ख़ानदान अस्तित्व में आये । इस लिहाज़ से लड़के का चयन पहली ईंट है, अगर यही ठीक न रखी गयी, तो इस पर खड़ी होने वाली इमारत (ख़ानदान) मज़बूत नहीं हो सकती ।

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

तलाक़ समस्या नहीं ?

■ संपादन प्रभाग

पिछले कई दशकों में दूसरे समुदायों में तलाक़ के प्रावधान को समाविष्ट किये जाने से यह सत्य अब पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि इस्लाम में तलाक़ के प्रावधान के विरुद्ध समस्त प्रचार भ्रामक एवं ग़लतफ़हमियों पर आधारित था । साथ ही यह बात भी स्पष्ट हो गयी है कि इस्लाम में तलाक़ का प्रावधान समाज और परिवार की आवश्यकता के अनुरूप है न कि उसके विरुद्ध । इस प्रावधान की वास्तविकता को समझने के लिए इस्लाम में विवाह के प्रावधान को समझना आवश्यक है ।

इस्लाम विवाह को मात्र काम-वासना की पूर्ति के माध्यम के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे समाज की स्थिरता एवं सुदृढ़ता के एक माध्यम के रूप में लेता है और उससे निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है–

(1) परिवार की स्थापना–जो समाज का एक मौलिक अंश है ।

(2) संतान के पालन-पोषण का एक केन्द्र स्थापित करना ।

(3) समाज के विस्तार में सहायक होना ।

(4) काम-वासना की पूर्ति का क़ानूनी प्रावधान प्रदान करना ।

इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्लाम जब पति और पत्नी को विवाह के माध्यम से जोड़ता है, तो इस संबंध को एक "अनुबंध" की शक्ल देता है और ये अनुबंध तब ही तक प्रभावी रहता है जब तक इन उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो । यदि पति-पत्नी में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि इन उद्देश्यों की पूर्ति संभव न हो तो इस्लाम, समाज की स्थिरता एवं सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए, पति-पत्नी को ये अनुमति देता है कि वो पुराने अनुबंध को तोड़कर ऐसे नये अनुबंध स्थापित कर लें, जहां इन उद्देश्यों की पूर्ति सुन्दर रूप से हो सके ।

इस दृष्टि से देखा जाए तो इस्लाम में तलाक़ का प्रावधान नारी पर अत्याचार और दासता का बोधक नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता का उद्घोषक है ।

"औरतों के लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं, जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं ।"

(क़ुरआन, 2:228)

इस सत्य को और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है, यदि हम इसे अन्य धर्मों में तलाक़ के प्रावधान की पृष्ठभूमि में देखें–

(1) सन 1857 से पूर्व पश्चिमी समाज में तलाक़ का कोई प्रावधान नहीं था । एक बार विवाहित संबंध में जुड़ जाने के उपरांत उनके लिए मृत्यु के सिवा अलग होने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे पारिवारिक जीवन पूर्ण रूप से नरक बन चुका हो और समाज को लाभ के बदले हानि पहुंचा रहा हो ।

(2) भारतीय धर्मों में भी तलाक़ का कोई प्रावधान नहीं है और पत्नी की "डोली के बाद उसकी अर्थी ही निकलेगी" की धारणा आज भी मान्य है । सन 1955 के हिन्दू विवाह क़ानून संसोधन ने भारतीय संविधान में तलाक़ का प्रावधान सम्मिलित किया और पत्नी को ये आज़ादी दी की वह अपनी मृत्यु से पूर्व भी, यदि आवश्यक हो तो, परिवार से निकल सकती है ।

इस प्रकार यह सत्य प्रमाणित हो जाता है कि इस्लाम में 1400 वर्ष पूर्व दिया गया तलाक़ का प्रावधान औरत के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है ।

तलाक़ कोई खेल नहीं

यह सत्य है कि तलाक़ से एक परिवार टूट जाता है । परन्तु ईश्वर ने इसकी अनुमति मात्र इसलिए दी है कि पति और पत्नी अपने लिए एक नये परिवार की स्थापना कर सकें और समाज की उन्नति में सकारात्मक भूमिका निभा सकें और उनकी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य एक असफल परिवार के कारण नष्ट न हो जाए ।

परन्तु इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हलाल कामों में सबसे

अधिक नापसन्दीदा काम तलाक़ है ।

"अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा चीज़ तलाक़ है ।" (हदीस)

तलाक़ : अन्तिम समाधान

तलाक़ के इस प्रावधान को अन्तिम और अपरिहार्य (Inevitable) समाधान के रूप में ही उपयोग किया जा सकता है । यदि पति-पत्नी के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा हो, तो इस्लाम तलाक़ की स्थिति आने से पहले पति-पत्नी के बीच सुलह-सफ़ाई कराने का भरपूर प्रयत्न करता है ।

(1) इस्लाम उनके सामने ये सत्य रखता है कि, "हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसन्द हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो । और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो ! अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते ।" (क़ुरआन, 2:216)

(2) तलाक़ में पूर्ण संबंध-विच्छेद से पूर्व इस्लाम दम्पति को "इद्दत" (Waiting Period) की अवधि तक साथ रहने की आज्ञा देता है कि यदि वो इस अवधि में अपनी ग़लती को महसूस करके अपने आचार-व्यवहार में सुधार कर लें तो विवाह को पूर्णत: टूटने से बचा लें ।

(3) तलाक़ की स्थिति आने से पूर्व इस्लाम आदेश देता है कि दोनों ओर के परिवार वाले विवाह को टूटने से बचाने का पूरा प्रयत्न करें । ऐसी मध्यस्थता पर ईश्वर ने उनकी सहायता का विश्वास दिलाया है ।

(4) इन सारे प्रयत्नों के असफल हो जाने पर ही इस्लाम तलाक़ की अनुमति देता है ।

तलाक़शुदा औरत की परेशानियों का समाधान

तलाक़ का विरोध करने वालों का सबसे बड़ा तर्क यही है कि तलाक़ के बाद औरत की स्थिति अति दयनीय हो जाती है, समाज उसे बुरी निगाह से देखता है और उसका कोई सहारा नहीं होता । यह तर्क लोगों में औरत के प्रति सहानुभूति एवं भावुकता तो उत्पन्न कर सकता है, परन्तु उसको एक असफल वैवाहिक जीवन के कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता । इस्लाम एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है और इसमें औरत को इस दयनीय स्थिति से बचाने का प्रावधान तलाक़ की अनुमति देने से पूर्व ही कर दिया गया है–

(1) तलाक़ के उपरांत एक स्त्री दूसरा विवाह करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे इससे रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है । यह इस्लाम की विशेषता है जो अन्य धर्मों में नहीं पायी जाती ।

(2) तलाक़ के बाद एक औरत दर-दर की ठोकरें नहीं खाती । वो अपने मायके वापस चली जाती है और उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी मायके वालों की होती है ।

(3) दाम्पत्य जीवन में पति उपहार के रूप में जो कुछ भी पत्नी को देता है, चाहे वो धन हो, गहने हों, कोई अन्य सामग्री हो या घर हो, वो पत्नी की संपत्ति होती है और तलाक़ के पूर्व अथवा उपरांत उसे वापस नहीं किया जा सकता ।

(4) इस्लामी विरासत का क़ानून एक स्त्री को उसके माता-पिता, भाई-बहन एवं अन्य रिश्तेदारों की धन-संपत्ति से एक निश्चित हिस्सा दिलाता है, जो क़ुरआन में सविस्तार निर्धारित कर दिया गया है । यह हिस्सा उसका अधिकार है और उसे कोई भी इससे वंचित नहीं कर सकता ।

(5) इस्लाम ने एक से अधिक पत्नी की अनुमति देकर समाज में स्त्री के अविवाहित (तलाक़ के उपरांत भी) रह जाने को बहुत हद तक समाप्त कर दिया है ।

ये तो सत्य है कि तलाक़ से एक स्त्री को कठोर मानसिक आघात लगता है और उसके जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, परन्तु इस्लाम के इन प्रावधानों से वह शीघ्र ही उन पर क़ाबू पा सकती है और अपनी जीवन रूपी गाड़ी को पुन: पटरी पर डाल सकती हैं और समाज के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका निभा सकती है ।

जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के लिए कभी-कभी उसका ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है और जिसे किसी भी प्रकार से मरीज़ पर अत्याचार नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार समाज के स्वास्थ्य के लिए भी कभी-कभी परिवार का ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है और इसे किसी भी प्रकार से स्त्री पर अत्याचार या शोषण के रूप में नहीं लिया जा सकता । समाज ने इसकी आवश्यकता हमेशा महसूस की है और जिन धर्मों में इसका प्रावधान नहीं था, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में इसे अपने यहां सम्मिलित कर लिया है ।

160

"अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई ईश (ख़ुदा) नहीं है, वह तुम सबको उस क़ियामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई सन्देह नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है।"

(क़ुरआन, 4:87)

A Well Wisher

KOLKATA

कान के रोग के प्रति असावधानी न बरतें

■ डॉ॰ राजन भार्गव

भारत में आमतौर पर पायी जाने वाली बीमारियों में से एक है कान का बहना । समाज के कतिपय वर्गों में तो यह बीमारी इतनी व्यापक है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, निदान के उपाय अपरिहार्य बन जाते हैं ।

25 वर्षीय शाहिद नामक एक व्यक्ति का कान पिछले 12 वर्षों से बह रहा था परंतु उसका कामचलाऊ इलाज ही होता रहा । एक दिन अचानक उसे तेज़ बुख़ार और सिरदर्द होने लगा, जिसका उसने थोड़ा बहुत इलाज कराया । अचानक बेहोश हो जाने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया ।

सी॰टी॰ स्कैन से पता चला कि कान में संक्रमण (इंफेक्शन) की वजह से दिमाग़ में फोड़ा हो गया । उस रोग का इलाज किया गया और बाद में बीमारी की जड़ दूर करने के लिए कान का ऑपरेशन भी हुआ । अब वह एकदम फिट है और काम पर लौट चुका है । इसी प्रकार एक 23 वर्षीय युवती के दोनों कान बहते थे और वह ठीक से सुन भी नहीं सकती थी । उसने बहुत जगह इलाज कराया मगर कुछ फ़ायदा न हुआ । अंततः उसे एक ई॰एन॰टी॰ सर्जन (कान के डॉक्टर) के पास ले जाया गया, जिन्होंने ऑपरेशन का सुझाव दिया और किया, जिसके बाद युवती का कान बहना भी बंद हो गया तथा उसे सुनाई भी ठीक पड़ने लगा ।

एक अन्य 50 वर्षीय व्यक्ति का दायं कान एक अर्से से बहता था कि अचानक वे चक्कर आने की शिकायत करने लगे । दवाओं से उनका इलाज हुआ और उन्हें अक्सर बताया जाता कि उनके अंदरूनी कान में संक्रमण है, जिसके तुरंत उपचार की आवश्यकता है । ये विभिन्न उदाहरण वास्तविक ज़िन्दगी की स्थितियों के हैं, जो ई॰एन॰टी॰ प्रैक्टिस में अक्सर देखने को मिलते हैं । इन सभी मामलों में समान लक्षण था—कान का

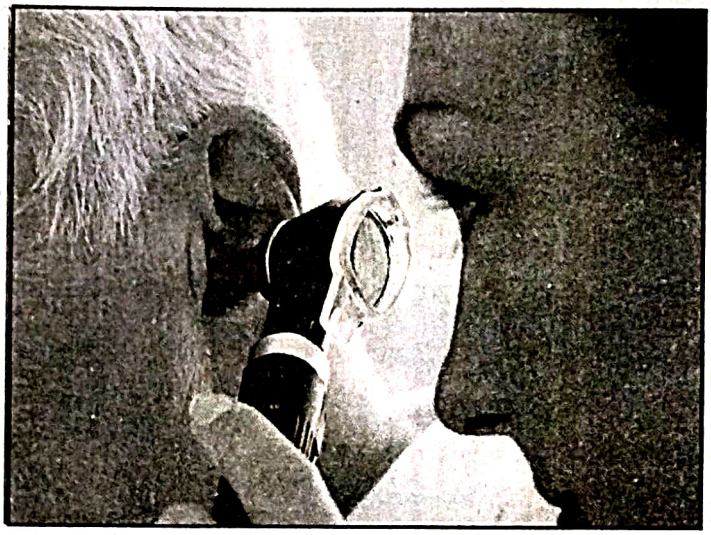

बहना, जिसकी या तो अनदेखी की जाती रही अथवा अपर्याप्त इलाज किया गया ।

आमतौर पर कान का बहना, आंतरिक संरचना में मध्य कर्ण के संक्रमण से होता है, जहां पर कान का पर्दा सुनने में सहायक हड्डियां पायी जाती हैं । यह संक्रमण कान में पर्दे तक सीमित हो सकता है, नतीजतन पर्दे में सुराख़ हो जाता है, जिसे सुरक्षित रोग कहा जाता है अथवा यह अगल-बगल की हड्डियों में व्याप्त हो जाता है, जिससे बीमारी बिगड़ सकती है ।

कान बहने के मरीज़ में पाये जाने वाले अन्य लक्षण हैं सुनाई न पड़ना और कान से दुर्गन्ध आना । कभी-कभार

दिमाग़ीन®
ब्रेन टॉनिक

- दिमाग़ीन हर आयु के मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यस्त लोगों के लिए लाभप्रद है।
- दिमाग़ीन एक पोषक एवं औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल ऑवला (मुख्य घटक) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें विटामिन 'सी' सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इसमें केल्शियम एवं आयरन भी पाया जाता है।
- दिमाग़ीन एकाग्रता बढ़ाता है साथ ही थकान कम करता है।
- दिमाग़ीन मुंह की दुर्गंध दूर करता है तथा पाचन को सुधारता है।
- दिमाग़ीन एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्फूर्तिदायक एवं शक्ति से भरपूर यूनानी औषधि है।



दवाख़ाना तिब्बिया कालिज
मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़

हालत इतनी बिगड़ जाती है कि चेहरा टेढ़ा हो जाता है, कान के आसपास सूजन या चक्कर आना जैसे लक्षण उभरते हैं । यदि बीमारी से कान की हड्डी का क्षरण हो गया हो तो इस बात की संभावना रहती है कि जटिलताओं का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े । इससे मेनिन्जाइटिस अथवा मस्तिष्क में फोड़ा हो सकता है, जिससे स्थिति जानलेवा हो सकती है ।

समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में कान बहने की बीमारी अधिक पायी जाती है । ऐसा संभवतः भीड़भाड़, गंदगी और बारम्बार नाक व गले के संक्रमण के कारण है । कान बहने पर ई॰एन॰टी॰ चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत जरूरी है । इससे यह पता चल जाता है कि बीमारी सुरक्षित प्रकार की है अथवा असुरक्षित, श्रवण क्षमता में कितनी कमी आयी तथा आसन्न जटिलताएं कौन-कौन सी हैं ।

कान बहने का इलाज रोगी की आय व रोग के प्रकार पर निर्भर करता है । सुरक्षित रोग से प्रभावित बच्चों में आमतौर पर सलाह दी जाती है कि 14-15 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा की जाए, तदोपरांत कान के पर्दे के सूराख़ को भरने के लिए शल्य-चिकित्सा की योजना बने ।

असुरक्षित प्रकार के रोग की स्थिति में, कान के मध्य भाग से बीमारी को समूल हटाने के लिए शल्य-चिकित्सा ही शर्तिया इलाज है, जिसके लिए आयु-सीमा बाधक नहीं होती । इस शर्तिया इलाज के प्रतीक्षारत रोगियों को कान साफ़-सुथरा, कान में डालने की श्रेष्ठ कोटि की एंटीबायोटिक दवाएं तथा कभी-कभार पारंपरिक एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए । यह भी सलाह दी जाती है कि कान में किसी भी प्रकार का तेल, प्याज आदि का रस या पत्तियां वग़ैरह पीसकर उनका अर्क भी न डालें ।

बहुत लोग इसकी सलाह देते हैं मगर इससे स्थिति बद से बदतर बनती है । कुल मिलाकर कान का बहना आमतौर पर जानलेवा रोग नहीं है व शल्य-चिकित्सा इसका शर्तिया इलाज है । कदाचित रहन-सहन में सुधार व स्वच्छता तथा साफ़-सुथरा जीवन व खानपान इस बीमारी की रोकथाम के श्रेष्ठ उपाय हैं । कान बहने पर विशेषज्ञ की सलाह ज़रूरी है ।

यदि रोग स्वतः न ठीक हो तो सुरक्षित प्रकार से फोड़ा भरना और असुरक्षित प्रकार में हड्डी से रोग का समूल सफ़ाया लाज़मी है । असुरक्षित प्रकार में रोगी को सतर्क रहते हुए सिर दर्द, मिचली, गर्दन में दर्द, हाथ-पांव की शिथिलता, झटके आना, चेहरा विकृत होना या चक्कर आना, ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए । ये सभी आसन्न जटिलताओं के सूचक हैं, जिनका तत्काल उपचार आवश्यक है ।

लौट आया वक़्त...

पल्लवित, पुष्पित फलित तरु आस का
लौट आया वक़्त हर्षोल्लास का

घर गया जब आधुनिकता ओढ़कर
पात्र मैं बन ही गया उपहास का

घट गयी है उम्र कल से आज तक
शोक या उत्सव मनाएं ह्रास का

मित्र छिपकर वार करके मित्र पर
घोंट देता है गला विश्वास का ।

किशन स्वरूप
मेरठ, उ॰प्र॰

25 yrs. Service (Regd.)

AL KAUSAR HOLY HERBAL

HOSPITAL & RESERCH CENTRE

(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)

Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**

Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)

Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India

Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)

Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days

(Rooms available)

Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

मित्रता

■ आचार्य रामचंद्र शुक्ल

जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती हैं । यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान-पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल-मेल हो जाता है । यही हेल-मेल बढ़ते-बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है ।

मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है । हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है । हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे, उस रूप का करे । चाहे वह राक्षस बनावे, चाहे देवता ।

ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हम से अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है । पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दाब रहता है, और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है । दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्राय: विवेक से कम रहता है ।

यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय: विवेक से कम काम लेते हैं । कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण-दोषों को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते । वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं ।

हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस । ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं । हम लोग नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है । यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है । एक प्राचीन विद्वान का वचन है–

''विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है । जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि ख़ज़ाना मिल गया ।''

विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है । हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे । सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे ।

सच्ची मित्रता से उत्तम से उत्तम वैद्य की-सी निपुण्ता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का-सा धैर्य और कोमलता होती है । ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए ।

छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है । मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है । पीछे के जो स्नेह-बंधन होते हैं, उसमें न तो उतनी उमंग होती है, न उतनी खिन्नता । बाल-मैत्री में जो मनन करने वाला आनन्द होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहां ? कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है । हृदय के कैसे-कैसे उद्‌गार निकलते हैं ।

वर्तमान कैसा आनन्दमय दिखायी पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं । कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना-मनाना होता है । 'सहपाठी की मित्रता' इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है ।

किन्तु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत-से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुन्दर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छन्द प्रकृति ये ही दो-चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन-संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए।

मित्र केवल उसे नहीं कहते, जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करे, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे-मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर-ही-भीतर घृणा करते रहें? मित्र सच्चे पथ-प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति-पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि-लाभ को दूसरा अपना हानि-लाभ समझे।

मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता खूब निभी।

यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हममें नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले, जिसमें वे गुण हों। चिन्ताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढ़ता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चन्द्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति-विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था।

मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है–

"उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ।"

यह कर्तव्य उससे पूरा होगा, जो दृढ़ चित्त और सत्य-संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा।

जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गयी है, वही जान-पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान-पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनन्दमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं।

यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, हमारे आनन्द में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है।

आजकल जान-पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थियेटर देखने जाएंगे, नाच-रंग में आएंगे, सैर-सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान-पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा।

यदि ये जान-पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन शोहदों में से निकले, जो अमीरों की बुराइयों

और मूर्खताओं की नक़ल किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं । ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है ? वे अच्छी बातों के सच्चे आनन्द से कोसों दूर है । उनके लिए न तो संसार में सुन्दर और मनोहर बुद्धि वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुन्दर आचरण वाले महात्मा हुए हैं । उनके लिए न तो बड़े-बड़े बीर अद्भुत कर्म कर गये हैं और न बड़े-बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गये हैं जिनसे मनुष्य-जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं । उनके लिए फूल-पत्तियों में कोई सौन्दर्य नहीं । झरनों के कल-कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत-सा हर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनन्द नहीं, उनके भाग्य से सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शान्ति नहीं । जिनकी आत्मा अपने इन्द्रिय-विषयों में ही लिप्त हैं, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित हैं, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन-दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा ? उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए ।

मकदूनिया का बादशाह डमेट्रियस कभी-कभी राज्य का सब-का-सब काम छोड़ अपने ही मेल के दस-पांच साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था । एक बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था । इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा । जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, "ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है ।" पिता ने कहा, "हां ! ठीक है वह दरवाज़े पर मुझे मिला था ।"

कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है । यह केवल नीति और सदवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है । किसी युवा-पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन-दिन अवनति के गढ़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी ।

इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज-दरबारियों में जगह नहीं मिली । इस पर ज़िन्दगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा । बहुत-से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते । बहुत-से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है । बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है । बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है । इस बात को प्राय: सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं ।

एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पायी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आये, पर बार-बार आता है । जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते वे बार-बार हृदय में उठती हैं और बेधती है ।

अत: तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे । सावधान रहो ऐसा न हो कि पहले-पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा । अथवा तुम्हारे चरित्र-बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे ।

नहीं, ऐसा नहीं होगा । जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है । तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है । धीरे-धीरे उन बुरी बातों में अभयस्त होते-होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी । पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है ! तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले-बुरे की पहचान न रह जाएगी ।

अंत में होते-होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, अत: हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो । यही पुरानी कहावत है–

काजर की कोठरी में कैसो हू सयानो जाय,
एक लीक काजर की, लागिहै, पै लागिहै ।

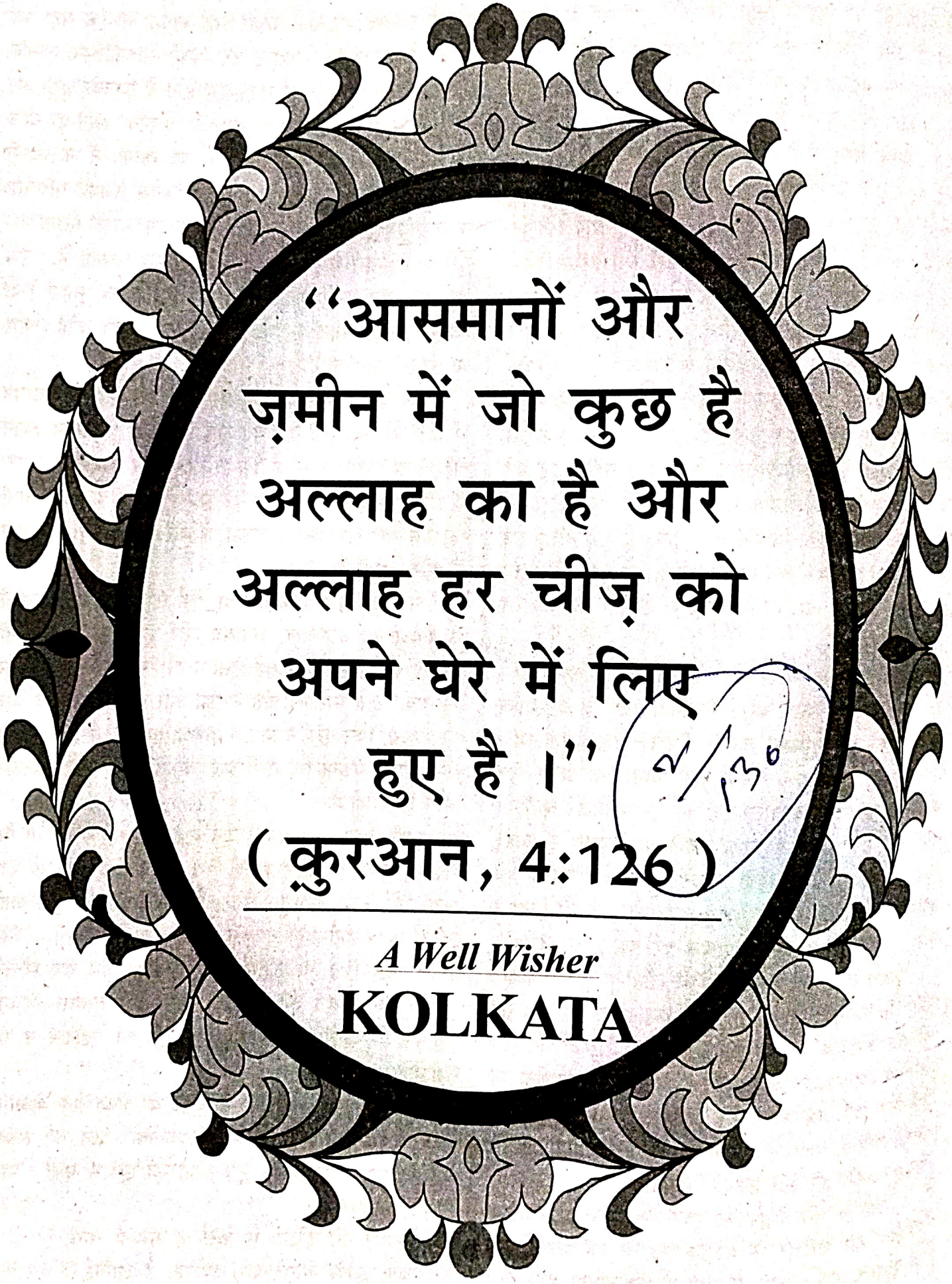
"आसमानों और
ज़मीन में जो कुछ है
अल्लाह का है और
अल्लाह हर चीज़ को
अपने घेरे में लिए
हुए है ।"
(क़ुरआन, 4:126)
A Well Wisher
KOLKATA

रोहिंग्या मुसलमान और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय

■ उबैद बा हुसैन

आठवीं शताब्दी के क़रीब रोहिंग्या दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए अराकान नाम की एक आज़ाद रियासत में आबाद हो गये थे । इस रियासत को आज रखाइन के नाम से जाना जाता है । बाद में इनके संपर्क अरब से आये हुए व्यापारियों से हुए, जिनसे प्रभावित होकर चौदहवीं शताब्दी के अंत में इनमें से अधिकतर लोगों ने इस्लाम क़बूल कर लिया ।

ब्रिटिश शासन

1784 ईसवी में बर्मा के एक राजा ने अराकान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया । जिसके बाद हज़ारों रोहिंग्या मुसलमान बंगाल की ओर पलायन करने पर विवश हो गये । फिर एक ब्रिटिश अधिकारी की मध्यस्थता के बाद बंगलादेश में इन्हें काक्स बाज़ार (Cox's Bazar) नामक बस्ती में बसाया गया । इस जगह पर आज भी बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं । यह नाम इस ब्रिटिश अधिकारी हीरम काक्स के नाम पर रखा गया । इसके बाद ब्रिटेन ने अराकान पर हमला करते हुए इसे अपने क़ब्ज़े में ले लिया । 1824 ईसवी से लेकर 1942 ईसवी तक बर्मा पर ब्रिटेन का शासन था ।

कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटेन 1935 ईसवी के क़रीब बंगाल और म्यांमार की सीमाओं पर बसे रोहिंग्याओं को म्यांमार के रखाइन इलाक़े में ले गये, जहां की ज़मीन बड़ी उपजाऊ थी । रोहिंग्याओं से ब्रिटिश अधिकारी कृषक का काम लिया करते थे । साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्मा के स्थानीय निवासियों पर हमेशा दूसरे रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य क़बीले के लोगों को वरीयता देते थे, जिसका परिणाम यह निकला कि 1942 ईसवी में जापान के ज़रिए बर्मा पर आधिपत्य ज़माने के बाद बर्मा के अतिवादियों ने सत्ता-परिवर्तन का लाभ उठाते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया । वे यह सोचते थे कि रोहिंग्या मुसलमानों को ब्रिटिश शासन में उनसे ज़्यादा महत्व दिया गया ।

रोहिंग्या विद्रोह

1945 ईसवी में ब्रिटेन ने बर्मा और रोहिंग्या के लड़ाकों की सहायता से जापान को बर्मा से खदेड़ दिया । बर्मा के लड़ाकों का नेतृत्व आंग सान कर रहे थे, लेकिन यहां फिर से तनावयुक्त परिस्थितियों की शुरुआत हुई । रोहिंग्या अराकान रियासत के लिए स्वायत्तता चाहते थे, जो उन्हें नहीं दी गयी । आंग सान को 1946 ईसवी में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया ।

दूसरी तरफ़ रोहिंग्या अराकान को स्वायत्तता न देने पर नाराज़ थे, इसलिए वे पश्चिमी पाकिस्तान (बंगलादेश) में शामिल होने के लिए आगे बढ़े और मुहम्मद अली जिनाह से मुलाक़ात करते हुए अपील की कि अराकान के मुस्लिम विजित इलाकों को पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया जाए ।

जिनाह ने यह कहते हुए उस मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया की यह बर्मा का आंतरिक मामला है । इसके बाद इन लोगों ने बर्मा की नयी हुकूमत से मांग की कि अराक़ान के कुछ इलाक़ों को सुविधाएं पहुंचायी जाएं ।

बर्मा की नयी हुकूमत ने भी इस मांग को नज़रअंदाज़ कर दिया । 1948 ईसवी के क़रीब इसका बदला लेते हुए हुकूमत ने कई रोहिंग्या जो सरकारी नौकर थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया ।

1950 ईसवी में कुछ रोहिंग्याई लोगों ने हुकूमत का मुक़ाबला करने के लिए हथियार उठा लिए और 'मुजाहिद' नाम की एक संस्था बना ली । इस संस्था के लड़ाके बर्मा की फ़ौज पर हमले करते रहे । शुरू में उन्हें सफलता मिली,

"शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफ़रत व द्वेष डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज़ से रोक दे।"
(क़ुरआन, 5:91)

2/132

A Well Wisher

KOLKATA

लेकिन जब पूरी ताक़त से बर्मा ने उन पर जवाबी हमला किया, तो उनमें से ज़्यादातर लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया । 1960 ईसवी के अंत तक यह विद्रोह पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया ।

सेना की भूमिका

1960 ईसवी के बाद अस्थायी लोकतांत्रिक सरकार की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए बर्मा की फ़ौज ने लोकतांत्रिक सरकार का तख़्ता पलट कर बर्मा पर फ़ौजी शासन का ऐलान कर दिया । 1977 ईसवी में एक आपरेशन के तहत बर्मा में ''विदेशियों की आबादी'' को कम करने के नाम पर बर्मा की फ़ौज ने रोहिंग्याओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया । लगभग दो लाख रोहिंग्या मुसलमान बंगलादेश हिजरत करने और वहां आश्रय लेने पर विवश हो गये । बंगलादेश ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया । इसके बाद हुए एक समझौते के कारण अधिकतर रोहिंग्या मुसलमान वापस बर्मा चले गये । इसी तरह हर एक नया आर्मी जनरल बर्मा का शासक बनता गया और रोहिंग्याओं पर जुल्म व अत्याचार की नयी दास्तान लिखता गया ।

अति यह हुई कि 1982 ईसवी में बर्मा की तानाशाही फ़ौजी हुकूमत ने देश की नागरिकता के लिए एक नया क़ानून बनाया । उस क़ानून के अनुसार रोहिंग्याओं को सिरे से बर्मा का नागरिक ही स्वीकार नहीं किया गया । जब बर्मा रोहिंग्याओं को अपने देश का नागरिक ही स्वीकार नहीं करता, तब उन्हें म्यांमार के संविधान के तहत कोई अधिकार और सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जाती । 1989 ईसवी में बर्मा की फ़ौज ने अपने देश का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया । लोकतंत्र फ़ौजी तानाशाही में परिवर्तित होने और देश का नाम बदल दिए जाने के बावजूद रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले अत्याचारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आयी ।

नाकामी छिपाने का सिलसिला

1991 ईसवी में बर्मा की फ़ौज ने फिर एक बार रोहिंग्याई महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न और बलात् मज़दूरी करवानी शुरू कर दी । उनका आदेश न मानने पर रोहिंग्याई महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का रास्ता अपनाया गया । इन अत्याचारों से तंग आकर फिर एक बार रोहिंग्याओं ने पलायन का सिलसिला शुरू कर दिया । 1992 ईसवी में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद म्यांमार को विवशतापूर्वक रोहिंग्याओं को वापस अपने दामन में लेना पड़ा, लेकिन बौद्ध वर्चस्व आबादी वाले इस देश में फ़ौज की ओर से किये जाने वाले हिंसा के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि रोहिंग्याओं पर अत्याचार करते हुए फ़ौज ने अपने देश की नाकामी की परदापोशी में सफलता प्राप्त कर ली ।

आज म्यांमार की सूरतेहाल दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे ग़रीब देश की है । एक भारतीय रुपये के बदले में म्यांमार की 21करेंसी ''कियात'' मिलती है । जबकि एक रुपया ख़र्च करने पर पाकिस्तान, बंगलादेश और नेपाल में भी एक रुपया साठ पैसे ही मिलते हैं । अपनी नाकामियों पर परदा डालने के लिए म्यांमार के शासकों ने योजनाबद्ध तरीक़े से सारे देश में यह दुष्प्रचार किया कि रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत थी, क्योंकि रोहिंग्या वहां पर एक प्रतिशत भी न थे । इसी आधारहीन दुष्प्रचार की पुनरावृत्ति वहां के अतिवादी बौद्ध धर्म गुरु भी देश की जनता के सामने किया करते थे ।

म्यांमार के एक बौद्ध धार्मिक लीडर, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा का वातावरण बनाने में मुख्य भूमिका निभायी । उन्हीं का बयान रिकार्ड पर मौजूद है, जिसमें वे कहते नज़र आते हैं कि बौद्ध वर्ग के ''80-98 प्रतिशत'' लोगों को रोहिंग्या मुसलमानों से कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए । अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी रक़म से रोहिंग्या मुसलमान पैसा बनाएंगे और बौद्ध लड़कियों से शादियां करेंगे । उनकी आबादी बढ़ेगी, तो यह देश के लिए ख़तरनाक साबित होंगे ।

कुछ लोगों के ज़रिए 2012 ईसवी में यह अफ़वाह फैला दी गयी कि एक रोहिंग्या मुसलमान ने किसी बौद्ध लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न करते हुए उसकी हत्या कर दी । इसके बाद तो आतंक व हिंसा का अनवरत सिलसिला शुरू हो गया । दोनों गिरोह पारस्परिक रूप से एक-दूसरे से टकरा गये । आगज़नी की घटनाएं सामने आयीं, जिसमें सामूहिक रूप से एक लाख चालीस हज़ार से ज़्यादा रोहिंग्याई मुसलमानों और सैकड़ों बौद्ध वर्ग के लोगों को भी अपनी जान बचाने के लिए राहत शिविरों में जाना पड़ा । रोहिंग्या मुसलमानों पर केवल वहां के अतिवादी बौद्ध वर्ग के लोगों ने ही हमले नहीं किये, बल्कि वहां की फ़ौज भी इन हमलों में पूरी तरह शामिल थी ।

राहत शिविर

राहत शिविरों में शांतिप्रिय लोगों को न साफ़ पानी,

खाना और न ही दवाओं की सुविधा उपलब्ध है, बल्कि इन राहत शिविरों में शरण लिए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को किसी भी क्लीनिक व अस्पताल में इलाज कराने की इजाज़त न थी । उन्हें अपने राहत शिविरों में ही तड़प-तड़प कर जान देनी पड़ती है । इन राहत शिविरों को फ़ौज ने चारों तरफ़ से घेर रखा है । शरणार्थियों के आने-जाने और नौकरी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है । जो मानवाधिकार संस्थाएं और समाजसेवी संस्थाएं रोहिंग्या मुसलमानों की सहायता करना चाहती हैं, उन्हें वहां की हुकूमत ऐसे कल्याणकारी कामों को करने से रोकती है । उनके आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और उन पर हर तरह के दबाव डाले जाते हैं ।

थाईलैंड पहुंचाया

मानव-तस्करी करने वाले गिरोह ने जब यह देखा कि रोहिंग्या मुसलमान अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तो उस गिरोह के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बहला-फुसलाकर नौकरी दिलवाने और बेहतर ज़िन्दगी का स्वप्न दिखाकर थाईलैंड पहुंचाने के लिए उनसे पैसे लिए और उनको थाईलैंड पहुंचा भी दिया गया । जहां उनके साथ धोखा किया गया और जंगलाती क्षेत्रों में उन्हें क़ैद कर दिया गया । उनसे पैसे मांगे गये और पैसे न देने पर उनमें से ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया । जब कई दिनों तक़ पैसा न मिला, तो यह देखकर मानव-तस्कर भी वहां से भाग गये ।

इस घटना के बाद कई दिनों से भूखे-प्यासे असंख्य रोहिंग्याई मुसलमानों ने इस जंगल में ही अपनी ज़िन्दगी की अन्तिम सांस ली । कुछ बचकर दूसरी तरफ़ चले गये । इसका उजागर उस वक़्त हुआ जब थाईलैंड की पुलिस ने इस जंगल में सामूहिक क़ब्रों की तलाश की । जांच-पड़ताल की गयी तो पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानव-तस्करों की टोली इसमें लिप्त है । यह टोली इस तरह प्रभावशाली थी कि मानव-तस्करी की जांच-पड़ताल कर रहे एक अधिकारी को भी थाईलैंड छोड़कर भागना पड़ा । इस टोली का संरक्षण थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक के उच्च अधिकारी और सरकार में मौजूद प्रभावशाली लोग कर रहे थे । अंतत: वैश्विक दबाव के कारण इस साल जुलाई के महीने में वहां की न्यायपालिका ने कुछ अधिकारियों और मानव-तस्करों को मौत की सज़ा सुनायी है ।

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र भी इस मामले में पूरी तरह असफल हुआ है । संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी जो म्यांमार में मौजूद हैं, वे कहते हैं कि जब भी वे रोहिंग्याई मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, तब वहां के अधिकारी और फ़ौज उन्हें ऐसे क़दम उठाने से रोक देती है । जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया । इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने भी म्यांमार की हुकूमत को शरणार्थियों और पीड़ितों से ज़्यादा वरीयता दी है । हालांकि संयुक्त राष्ट्र का यह रवैया और तर्ज-अमल खुद उसकी अपनी नीतियों और मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है ।

आंग सान सूकी

नोबल पुरस्कार प्राप्त आंग सान सूकी ने 2015 ईसवी के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के बाद म्यांमार के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया । उनके विदेश यात्रा के अवसर पर बी॰बी॰सी॰ ने उनसे एक साक्षात्कार लिया । साक्षात्कार में जब भी बी॰बी॰सी॰ की एक महिला पत्रकार म्यांमार की प्रधानमंत्री से सवाल कर रही थीं कि वहां के मुसलमानों को मारा जा रहा है और उन पर अत्याचार के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? तो महिला पत्रकार के हर सवाल के जवाब में आंग सान सूकी कहती यह रहीं कि वहां के बौद्ध भी इन सब समस्याओं को झेल रहे हैं ।

जब उन पर यह स्पष्ट किया गया कि बौद्ध वर्ग का प्रतिशत पीड़ितों में बहुत कम है, तो वह इससे सहमत नहीं हुईं और कहने लगीं कि रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बौद्ध वर्ग में भय है, इसलिए वे उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इन हमलों की रोकथाम, डर और नफ़रत के वातावरण को ख़त्म करने के लिए आंग सान सूकी ने अब तक कुछ भी नहीं किया । उनकी ख़ामोशी यह ज़ाहिर करती है कि फ़ौज रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो रवैया अपना रही है वह उचित है और वे इससे सहमत हैं । म्यांमार का कोई भी विपक्षी दल रोहिंग्या के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता । समस्या इसलिए गंभीर है कि रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी निषिद्ध है ।

"हरकातुल यक़ीन"

अक्तूबर 2016 ईसवी में म्यांमार के एक स्थानीय गिरोह "हरकातुल यक़ीन" ने सीमा पर स्थित फ़ौजी चौकी

पर हमला कर दिया । म्यांमार के 9 फ़ौजियों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी । फ़ौज ने इसका जवाब दिया, जिसकी लपेट में निर्दोष रोहिंग्या मुसलमान भी आ गये । लगभग 25 हज़ार रोहिंग्या बंगलादेश जाने पर विवश हो गये। कई दिनों तक फ़ौज रोहिंग्याओं पर हमले करती रही । म्यांमार का बाहुल्य वर्ग भी फ़ौज की इस कार्रवाई को ग़लत नहीं मानता । सोशल मीडिया में जो तस्वीर और वीडियो आते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार की पराकाष्ठा को ज़ाहिर करते हैं । एक कमज़ोर दिल इन्सान ऐसे भीभत्स वीडियों और तस्वीर को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता ।

बंगलादेश

रखाइन राज्य के 15 शहरों में संयुक्त राष्ट्र और समाजसेवी संस्थाएं जो रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रही हैं, उनके विरुद्ध कुछ समय पहले सामूहिक प्रदर्शन किया गया । म्यांमार हुकूमत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सामने आयी, जिसमें म्यांमार सरकार से मांग की गयी थी कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों का हल नहीं निकाला गया, तो हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं ।

रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद हिंसा भड़क उठी थी और फ़ौज की कार्रवाई में केवल दो सप्ताह के अन्दर 400 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान मार दिये गये । रखाइन राज्य जो बंगलादेश की सीमा से लगा है और रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए बंगलादेश की सीमा की तरफ़ जा रहे थे, तब बंगलादेश ने भी उन्हें अपने देश में अपनी सीमा पार करने नहीं दी और अपने शरण में लेने से इन्कार कर दिया । पिछले एक सप्ताह के दौरान 27 हज़ार शरणार्थियों ने बंगलादेश में शरण ली है, लेकिन अब बंगलादेश सरकार ने भी अपनी सीमा को सील कर दिया है और सीमाओं पर सख़्त निगरानी शुरू कर दी है ।

चीन

चीन म्यांमार की पूरी तरह मदद कर रहा है । यही कारण है कि म्यांमार के ख़िलाफ़ उसकी अनैतिक हरकत पर दबाव डालने और सुरक्षा परिषद में इसके विरुद्ध प्रतिबंध लागू किये जाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । चीन ने 2006 ईसवी में अमेरिका की मध्यस्थता से संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के विरुद्ध पेश किये गये सुझाव का विरोध करते हुए उसे वीटो कर दिया था । म्यांमार में होने वाली पूंजीनिवेश की लगभग आधी पूंजी हर साल चीन खुद निवेश करता है । चीन की नीयत यह है कि वह म्यांमार सरकार से निकटता बढ़ाकर उससे अपने विशिष्ट प्रोजेक्ट को पूरा कर ले । चीन दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है ।

भारत

भारत सरकार भी रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजना चाहती है, जिसके ख़िलाफ़ दो रोहिंग्या शरणार्थियों ने प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है । सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इन शरणार्थियों के कारण देश की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो गया है । साथ ही इनके देश में रहने से देश के संसाधनों पर और अधिक बोझ पड़ेगा । स्पष्ट रहे कि भारत में केवल रोहिंग्या और बंगलादेशी शरणार्थियों के रूप में नहीं रहते, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार चीन के एक लाख दस हज़ार, श्रीलंका के 64 हज़ार और 208 शरणार्थी भी भारत में शरण लिए हुए हैं ।

फिर भी श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को भी भारत ने शरण दे रखी है । इनमें 'एल॰टी॰टी॰ई॰' जैसी आतंकवादी संस्था के समर्थक भी शामिल हैं । इन्हीं पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने का आरोप भी साबित हो चुका है, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र का मुख्य सदस्य होने की बुनियाद पर मानवाधिकार के प्रति अपने वचन को निभाते हुए इन सबको शरण दे रखी है । भारत सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए कुछ ख़ास नहीं करती, जबकि अफ़ग़ानिस्तान और अन्य देशों से आए शरणार्थियों को स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

म्यांमार के शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद में रह रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग दस हज़ार है । वे यहां साइकिल रिक्शा चलाने जैसे छोटे-छोटे काम करते हुए अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं । कोई भी देश उस वक़्त तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि उसके पड़ोस में भी शान्ति व सलामती स्थापित न हो । इसके बिना कोई देश प्रगति नहीं कर सकता । अमेरिका के दो पड़ोसी हैं, एक कनाडा और दूसरा मैक्सिको । दोनों संपन्न और ख़ुशहाल देश हैं, लेकिन भारत को अगर आगे बढ़ना है, तो इसे अपने पड़ोसी देशों के साथ अमन और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना होगा ।

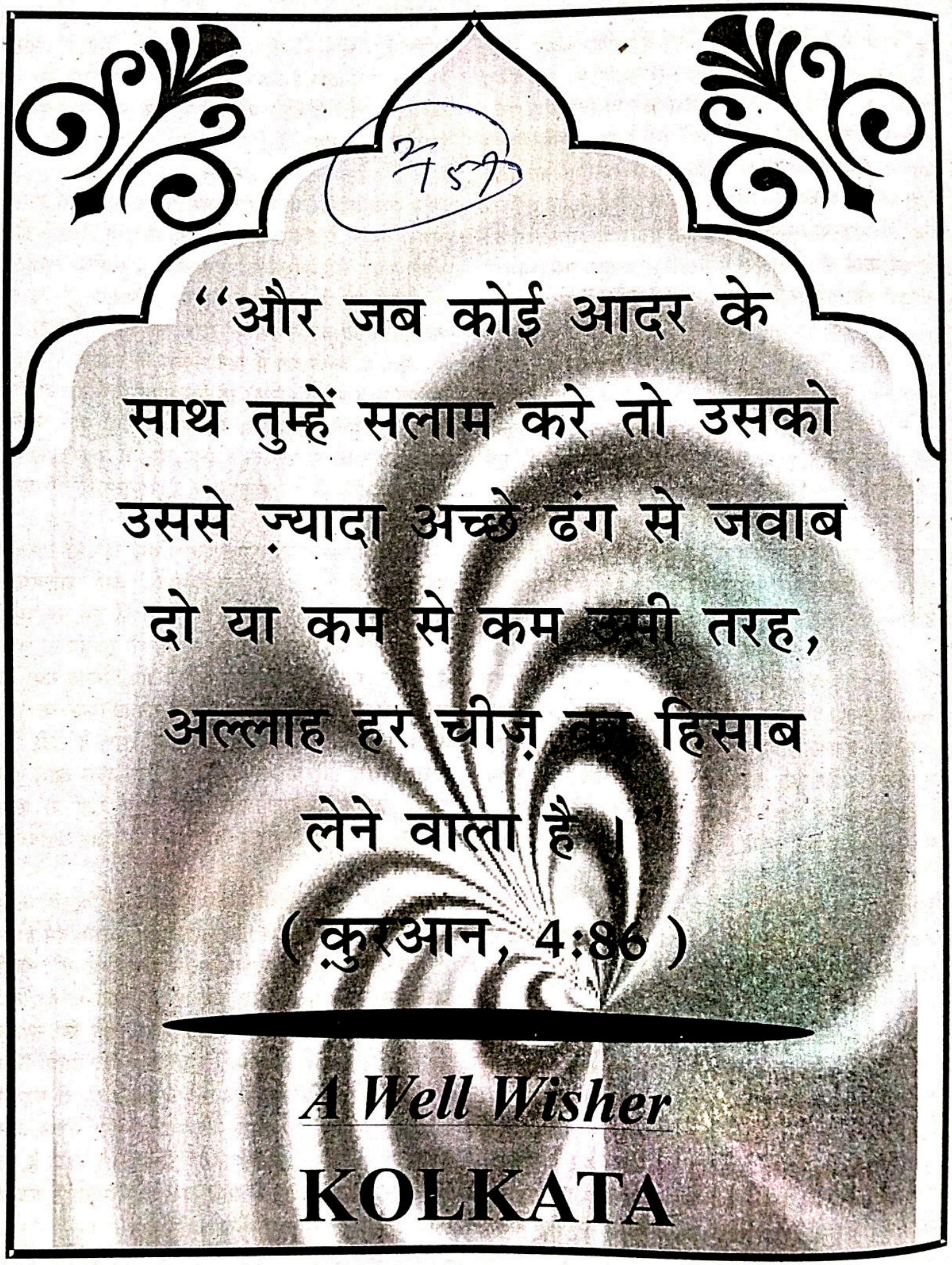
"और जब कोई आदर के
साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको
उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से जवाब
दो या कम से कम उसी तरह,
अल्लाह हर चीज़ का हिसाब
लेने वाला है।
(क़ुरआन, 4:86)
A Well Wisher
KOLKATA

दांतों से भी पहचाने जा सकते हैं अपराधी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू॰एच॰ओ॰) से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय दंत-विज्ञान संघ (इंटरनेशनल डेंटल फेडरेशन) के अनुसार 65 प्रतिशत सामूहिक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति दांतों के परीक्षण के आधार पर पहचाने जा सकते हैं, बशर्ते उनका मृत्यु पूर्व, दंत-विषयक उपलब्ध हो ।

पाश्चात्य देशों में अपराध दंत विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज़बरदस्त तरक़्क़ी हो चुकी है कि एक अनुभवी एवं कुशल अपराध दंत वैज्ञानिक, व्यक्ति का यौन, उम्र, रक्त का ग्रुप, आर्थिक हैसियत, यहां तक कि व्यवसाय भी ठीक-ठीक बता सकता है । व्यक्ति के जीवन में, अवश्य दांतों के सड़ने-टूटने की प्रक्रिया होती है, पर मौत के पश्चात दांत, अत्यंत सुरक्षित अवस्था में बने रहते हैं । "फिलिंग" व "रेस्टोरेशन" (भरे हुए दांत या टूटे दांत की जगह लगाए नक़ली दांत) भी बिना टूटे या ख़राब हुए पाये जाते हैं । प्राकृतिक विघटन व उच्च ताप को सहन करने की आश्चर्यजनक क्षमता भी दांतों में पायी जाती है ।

अपराध दंत विज्ञान को प्रोत्साहन प्रशस्ति मिली 1975 में, जब जर्मनी के भूतपूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर के शव की निर्णायक पहचान मात्र उसके दांतों को विवरण के आधार पर संभव हो सकी । मई 1945 में जब रूसी सेना बर्लिन में प्रवेश किया, तब उन्हें एक बंकर में, दो बुरी तरह के क्षत-विक्षत व जली हुई लाश मिली । उन्हें बताया गया कि उक्त लाशें, हिटलर तथा उसकी रखैल इवाब्रॉन की है । जब शिनाख़्त के सारे पारंपरिक संभव तरीक़े असफल रहे, तब रूसियों ने हिटलर व उसकी रखैल के मृत्युपूर्व दांतों के जब शव के दांतों के नमूने, मृत्युपूर्व दंत विवरण से मिलाये गये, तब वैज्ञानिकों के निःसंदिग्ध मृत्यु की, इस तरह पुष्टि संभव हो सकी ।

डॉ॰ अरुण गांगुली, जो भारत के एकमात्र अपराध दंत विशेषज्ञ हैं, अपराध अन्वेषण में दंतशास्त्र के उपयोग के कड़े पक्षधर हैं । उन्होंने सरकार को जो मुख्य सुझाव दिये हैं, वे विचारणीय हैं । महानगरों में जहां अपराध-दर ज़्यादा है, पुलिस मुख्यालय से संबंध, एक दंत वैज्ञानिक होना ज़रूरी है । वे चाहते हैं कि पुलिस अपराधियों के लिए अपराध दंत विज्ञान पर नियमित व्याख्यान व प्रदर्शन किये जाए तथा एक

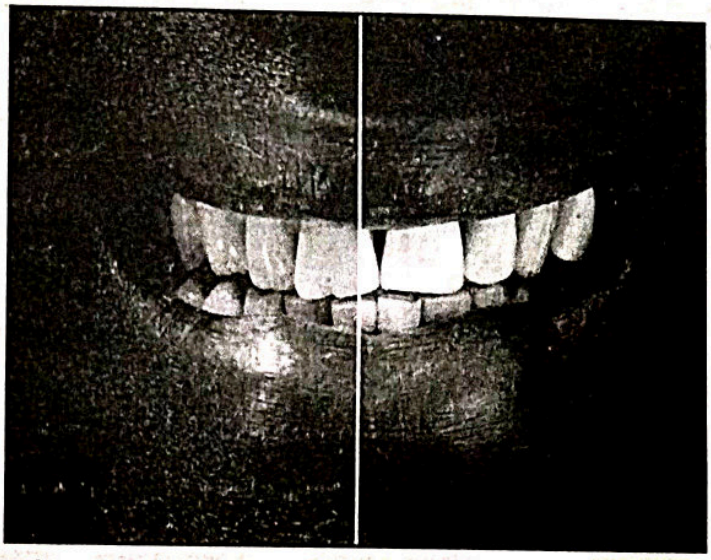

फारेंसिक ऑडोंटोलॉजिस्ट राज्य अपराध प्रयोगशाला (फारेंसिक लेबोरेट्री) में नियुक्त किया जाए । इन वार्ता के क्रियान्वयन से पुलिस का जांच-विभाग, अधिक प्रभावकारी व कारगर सिद्ध हो सकेगा ।

● मुकेश कुमार पुष्प

0291-2658786

HOTEL
Crown Plaza

A/C & Non A/C Air Cooled
Rooms & Dormitory

Opp. Minerva Centre,
Railway Station Road, Jodhpur-342001 (Raj.)
Cell : 9784856007, 9414110345

½ km from the railway station

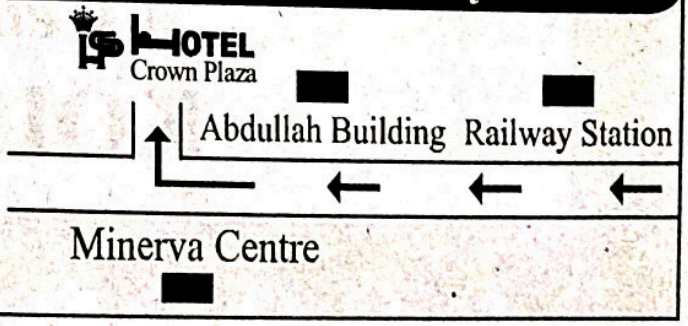

"आख़िर उस व्यक्ति से ज़्यादा बहका हुआ इन्सान कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो 'क़ियामत' तक उसे उत्तर नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेख़बर है कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं, और जब सभी इन्सान इकट्ठा किये जाएंगे उस समय वे अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी उपासनाओं के इन्कार करने वाले होंगे।"

(क़ुरआन, 46:5-6)

3/49

★★★★★★★

A Well Wisher

KOLKATA

चूहों की दुनिया

■ अल्पना हंस

हमारा देश चूहों से कम परेशान नहीं है । एक अनुमान के अनुसार भारत में चूहे प्रतिवर्ष जितना खाद्य पदार्थ खा जाते हैं, उससे लगभग तीन हज़ार किलोमीटर लंबी ट्रेन भरी जा सकती है । चूहों की दुनिया पर एक नज़र ।

यदि कभी दुर्भाग्य से इस धरती पर नाभिकीय युद्ध छिड़ा तो उसके बाद इस जीवमंडल पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल काकरोच (तिलचट्टा) ही बचे रहेंगे और संभव है कि उनका साथ देने के लिए चूहे भी मौजूद रहें । ये दोनों जीव वर्तमान में मनुष्य जाति के लिए एक गंभीर समस्या बने हुए हैं । घर से लेकर रेगिस्तान तक में ये दोनों आसानी से दिख जाते हैं । बदलते मौसम में अपने आपको बदल लेने की क्षमता इन दोनों जीवों से अधिक शायद ही किसी और जीव में पायी जाती है । काकरोच की एक ख़ासियत यह है कि वे कुछ भी चट कर जाने में माहिर हैं । इस पर ग्रीनहाउस प्रभाव का भी कुछ असर पड़ने वाला नहीं है ।

धरती पर टिके रहने की क्षमता के बावजूद काकरोच और चूहों में एक बड़ा बुनियादी अंतर है । अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि काकरोच किसी प्रकार की बीमारी फैलाते हैं लेकिन चूहे तो बीमारियों का घर हैं । मानव-जाति शुरू से ही इस जीव से त्रस्त रही हैं प्लेग की महामारी से पूरा विश्व इस सदी के सातवें दशक तक परेशान रहा । अपने देश के सूरत पर बीड में तो दो वर्ष पूर्व ही प्लेग की महामारी फैलने से पूरा देश सन्न रह गया था ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चूहों द्वारा फैलने वाली बहुत-सी बीमारियों की जानकारी आज भी हमें नहीं है । वैज्ञानिकों के अनुसार आज तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल बीमारियों के 23 प्रकार परजीवी चूहों में पाये जाते हैं और इनमें 13 प्रकार के परजीवी मनुष्यों में बीमारी फैलाने की क्षमता रखते हैं । लेकिन कौन-सा परजीवी कब अपना असर दिखा जाएगा, यह सही-सही पता नहीं है ।

शोधकर्ताओं के अनुसार चूहे वायरस और जीवाणुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त घर साबित होते रहे हैं । चूहों द्वारा फैलने वाली व सबसे घातक बीमारी है प्लेग । प्लेग चूहों से फैलता है, इसका पता लगभग सौ वर्ष पूर्व चला । सन 1897 में फारमोसा ने ओगाटा में और सन 1898 में भारत में साइमंड ने बताया कि प्लेग के जीवाणु चूहे से चूहे तक और चूहे से आदमी तक का सफ़र करने के लिए पिस्सू का सहारा लेते हैं, लेकिन वे इसका कोई विधिवत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पाए । उन्हीं दिनों फ्रांस के दो वैज्ञानिकों गौथियर और रेबांड ने प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिखाया कि प्लेग के जीवाणु पिस्सू के ज़रिए ही आदमी तक पहुंचते हैं । लेकिन वे वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए । यह काम किया भारतीय प्लेग आयोग के वैज्ञानिकों ने । इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक ढंग से प्रयोग किए ।

सन 1907 में आयोग ने अपने प्रयोगों के लिए मुंबई में छह गोदाम बनवाए और सैकड़ों गिनी पिग व चूहों का इस्तेमाल किया । वैज्ञानिकों ने एक-एक प्रयोग को कई-कई बार करके कुछ ठोस नतीजे निकाले । फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि चूहों के शरीर पर पलने वाले पिस्सू (जीनोप्सिला चिपोप्सिस) ही प्लेग के जीवाणुओं को मनुष्य तक पहुंचाते हैं । अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉ॰ जी॰ विनेल्ज के अनुसार लेप्टोस्पाइरोसिस संभवत: ऐसी सर्वाधिक आम बीमारी है जो चूहे से फैलती है । इस बीमारी में व्यक्ति का लीवर व गुर्दा ख़राब होता है । इस बीमारी के बारे में पिछले दिनों दुनिया की जानी-मानी विज्ञान पत्रिका 'न्यू साईंटिस्ट' ने विस्तार से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है । इसके अलावा चूहे हैंटावायरस और लाइम नामक बीमारियों के वाहक हो सकते हैं ।

लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी के वायरस (विषाणु) चूहों की किडनी में होते हैं, जो कि उनके मूत्र के ज़रिये मानव के संपर्क में आते हैं । 'न्यू साईंटिस्ट' के अनुसार अमेरिकी भी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं होते और उनकी जीवनशैली भी कुछ ऐसी ही है कि वे कभी-कभार चूहों के संपर्क में आते रहते हैं । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूहे

लगभग दो हज़ार वर्षों से आदमी के साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके ऊपर वैज्ञानिक साहित्य अन्य जीवों की तुलना में काफ़ी कम उपलब्ध है।

सन 1834 में लिखी गयी एक पुस्तक "रेटसलाइंस एंड हिस्ट्री" आज भी चूहों पर सबसे बड़ी प्रमाणित किताब मानी जाती है।

पुस्तक के अनुसार ईसा पूर्व 400 से लेकर 1000 वर्ष पूर्व के बीच काले चूहे पूर्व से पश्चिम पहुंचे। लेकिन आज भी पश्चिम देशों में इनकी संख्या पूर्व के मुक़ाबले काफ़ी कम है। पूरे यूरोप व अमेरिका में मिलाकर जितने चूहे होंगे उससे ज़्यादा तो संभवत: अकेले बंगलादेश में होंगे।

इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां की सरकार दस हज़ार चूहों को मारने पर एक कलर टेलीविज़न इनाम में देती है। अपने परिवार को बढ़ने में इस छोटे जीव का कोई मुक़ाबला नहीं। केवल अपने दस माह के जीवनकाल में एक चुहिया से 70 से 100 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है। जन्म लेने वाले आधे चूहे अपनी जनसंख्या में वृद्धि के लिए जीवित रहते हैं, बाक़ी आधों का जीवनकाल बहुत छोटा होता है।

बीमारियों को फैलाने के अलावा चूहों से सबसे बड़ा ख़तरा खाद्यान्न मोर्चे पर है। खेतों से लेकर घरों तक ये अनाज चट करते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल अपने देश में ही चूहे प्रतिवर्ष जितना खाद्यान्न खा लेते हैं, उससे लगभग तीन हज़ार किलोमीटर लंबी ट्रेन भरी जा सकती है। क्या गांव हो या शहर अपने देश में चूहे हर कहीं दिख जाएंगे। लेकिन पेरिस व लंदन जैसे दुनिया के सर्वाधिक साफ़-सुथरे माने जाने वाले शहरों में भी रिहायशी इलाक़ों में चूहों का साम्राज्य क़ायम है, और इनको मारने के सारे प्रयास अब तक असफल रहे हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित। फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है।




Asian Optics

a multibrand showroom

SNP Area, Sakchi ,Jsr.
2221184

Main Road, Golmuri ,Jsr.
2341175

With Best Compliment From

Sermad Traders

Agriculture Input Dealer

B.H. Road, Tarikere, Chikkamagalore Distric



जिसको अल्लाह हिदायत देने का फ़ैसला करता है, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है।

(मिश्कात)



Posted on 20-21 December 2018
January 2019
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.12.2018
Total pages 52 with Cover

हिन्दी भाषियों की साहित्यिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

2019 Calendar

January

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

February

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

March

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

April

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

May

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

June

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

July

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

August

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

September

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

October

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				